बृहस्पतिवार,
२० नवंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बृहस्पतिवार, २० नवम्बर, १९५२

(सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई)

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अधिकारियों की नियमित रिज़र्व

*५००. **सरदार हुक्म सिंह** : रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने अधिकारियों की एक नियमित रिज़र्व बनाने का निश्चय किया था; और

(ख) क्या उक्त रिज़र्व के सदस्यों को लागू होने वाली सेवा सम्बन्धी विस्तृत शर्तें और निबंधन पूर्णतः निर्धारित हो चुके हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) इनका निर्धारण हो रहा हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : इस रिज़र्व का विशिष्ट प्रयोजन क्या है ?

सरदार मजीठिया : यह पूर्णतः स्पष्ट है, श्रीमान् ।

33PSD

सरदार हुक्म सिंह : मुझे तो कुछ ऐसा स्पष्ट प्रतीत नहीं होता । तभी तो मैं जानना चाहता था ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस विधि से अभी साधारण उत्तर का मानो खुला अनुवाद सा कर दिया है कि यह बतलाना लोक-हित के अनुकूल नहीं होगा ।

सरदार हुक्म सिंह : यदि उन्हों ने ऐसा ही कह दिया होता तो सम्भवतः मेरी सन्तुष्टि हो जाती ।

क्या मैं जान सकता हूं कि इस रिज़र्व की संख्या क्या होगी ?

सरदार मजीठिया : यह बतलाना लोक-हित के अनुकूल नहीं होगा ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस रिज़र्व की संरचना करते समय उन अधिकारियों के प्रसंगों पर विचार किया जाएगा जो राज्यों के एकीकरण के परिणाम स्वरूप सैन्यवियोजनार्थ हटाए गये थे ?

सरदार मजीठिया : किया जाएगा यदि वह समपयुक्त होंगे ।

श्री बी० ऐस० मूर्ति : कब तक सरकार को इस विषय में अन्तिम निर्णय की प्रत्याशा है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

रक्षा कर्मचारियों के लिए डब्बों में बन्द खाद्य-पदार्थ

*५०१ **सरदार हुक्म सिंह** : (क) रक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या १९५१-५२ में रक्षा कर्मचारियों के लिए डब्बों में बन्द खाद्य-पदार्थों का आयात किया गया ?

(ख) यदि किया गया तो किन किन विशेष पदार्थों का और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा-राशि का व्यय हुआ ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) तथा (ख)। जी हां। इस वर्ष ५,८७,६५८ पाउंड के मूल्य का डब्बों में बन्द दूध, दुग्ध चूर्ण और हाप मंगवाए गए।

सरदार हुक्म सिंह : उक्त वर्ष में आयात की गई वस्तुओं की कुल संख्या क्या थी ?

सरदार मजीठिया : मैं इसका उल्लेख कर चुका हूं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या १९५०-५१ में भी कोई वस्तुएं आयात की गई थीं ? जहां तक १९५१-५२ का सम्बन्ध है क्या यह सत्य है कि इन पदार्थों के आयात की कुछ आवश्यकता नहीं है ?

सरदार मजीठिया : नहीं श्रीमान्। केवल आवश्यक पदार्थों का ही आयात किया गया है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार इस आशय से कोई प्रयत्न कर रही है कि हमारी सभी अपेक्षाएं स्वदेशीय स्रोतों से ही पूरी हो सकें ?

सरदार मजीठिया : यही सरकार की नीति है।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि इस दिशा में क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

सरदार मजीठिया : हमारा प्रथम प्रयास यही रहता है कि जो पदार्थ मिल सकें तथा उचित स्तर के हों वह यहीं से खरीदे जाएं।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह वस्तु-क्रय सीधा सम्बद्ध मंत्रालय द्वारा ही होता है अथवा किसी प्राईवेट अभिकरण द्वारा ?

सरदार मजीठिया : मुझे इसके लिए पूर्व सूचना चाहिए।

श्री ऐम० आर० कृष्ण : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को केन्टीन स्टोर विभाग से कोई शिकायत इस आशय की प्राप्त हुई है कि भारतीय डब्बों के फल और मुरब्बे आयातित फलों आदि की अपेक्षा घटिया प्रकार के हैं और यह कि अधिकांश स्कन्ध बहुत समय पड़ा रहने से खराब हो जाता रहा है ?

सरदार मजीठिया : मैं इस से अवगत नहीं हूं।

अंडेमान और निकोबार द्वीपों में शिक्षा सम्बन्धी योजनायें

*५०२ **सरदार हुक्म सिंह** : **शिक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अंडेमान और निकोबार द्वीपों में वर्तमान शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के पर्यालोकनार्थ नियुक्त विशेष कार्याधिकारी की रिपोर्ट का अध्ययन हो चुका है ; तथा

(ख) यदि हो चुका है तो क्या इन क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए कोई विशेष योजनाएं तय्यार की गई हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख) । जी हां ; उक्त योजना के विस्तृत अंगों की रचना मुख्यायुक्त द्वारा की जा रही है ।

सरदार हुक्म सिंह : वह अधिकारी कौन था और उसकी मुख्य सिपारिशें क्या थीं ?

श्री के० डी० मालवीय : १९५१ मे हम ने श्री भगवद् प्रसाद शिक्षा सहसंचालक, बिहार राज्य, को अंडेमान जाने और अपनी सिपारिशें देने के लिए नियुक्त किया था । अतः उस ने कुछ सिपारिशें की हैं और उन में से कुछ एक अंडेमान के मुख्यायुक्त द्वारा मान ली गई हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या उनकी रिपोर्ट केवल एक या दो वर्षों की कालावधि के लिए ही है अथवा पंचवर्षीय योजना के समकालीन है ?

श्री के० डी० मालवीय : इन सिपारिशों का पंच वर्षीय योजना से तो कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है परन्तु उनकी कालावधि चार वर्ष रखी गई है ।

सरदार हुक्म सिंह : १९५२-५३ में कितनी राशि खर्च होनी है ?

श्री के० डी० मालवीय : चालू वित्तीय वर्ष के लिए आयव्ययक में ३५,००० रुपये का प्रावधान किया गया है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या इस योजना में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा भी सम्मिलित है ?

श्री के० डी० मालवीय : नहीं श्रीमान् ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि अंडेमान और निकोबार द्वीपों में साक्षरता का प्रतिशतक क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं अभी इस विषय से अवगत नहीं हूं ।

श्री एन० श्रीकांतन नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि शिक्षा प्राप्त करने वाले और शिक्षा-योग आयु वाले बच्चों के प्रतिशतकों में क्या अनुपात है ?

अध्यक्ष महोदय : जब वह यह कह चुके हैं कि वह वहां के साक्षरता के प्रतिशतक के विषय में कुछ नहीं कह सकते तो वह यह कैसे बतला सकते हैं ?

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या शिक्षा प्रणाली जो चालू की जायेगी मौलिक होगी अथवा साधारण प्राथमिक प्रकार की ?

श्री के० डी० मालवीय : मौलिक शिक्षा ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

सोने की जब्ति

*५०३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के प्रथम अर्द्धभाग में कितना सोना पकड़ा गया ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी): वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के प्रथम अर्द्धभाग में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा ६,५७४ तोला सोना पकड़ा गया ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सोने के चोरी आयात को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई नए उपाय किए गए हैं ?

श्री त्यागी : सोने का आयात अथवा निर्यात अपराध है । सोने का आयात प्रायः फ़्रांसीसी तथा पुर्तगाली अधिकार क्षेत्रों से किया जाता है । इस चोरी आयात को रोकने की व्यवस्था कर दी

गई है । पत्तनों पर होने वाली देख भाल से बचने के लिए सोना देसी नौकाओं में लाया जाता है और तट के ऐसे स्थानों पर उतारा जाता है जहां पहरा न हो । इस ढंग का प्रयोग विशेषत: ईरान की खाड़ी से आने वाली नौकाओं द्वारा होता है जो पश्चिमी तट पर आ कर लगती हैं । फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली क्षेत्रों और भारत के बीच प्रत्येक प्रकार के निरन्तर यातायात के कारण इन क्षेत्रों से चोरी आयात की रोक थाम कठिन हो जाती है। चोरी आयात को रोकने के लिए समुद्रीय तथा स्थलीय सीमाओं के कई एक विशिष्ट स्थानों पर घूमने वाले प्रहरियों की व्यवस्था की गई हैं । यह भ्रमण भूमि पर तो द्वीपों अथवा अन्य साधनों द्वारा किया जाता है और समुद्र पर भिन्न प्रकार की लांचों द्वारा किया जाता है। मैं यह भी कह दूं कि पांडीचरी और कराइकल की सीमाओं के ऐसे स्थानों पर जहां से चोरी आयात हो सकता हो शीघ्र ही कान्टेदार तार लगाई जा रही है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या कोई चोरी आयात करने वाले सरकार द्वारा गिरफ़्तार भी किए गए हैं ?

श्री त्यागी : हां, श्रीमान् । मेरे पास इस समय तक की जानकारी तो नहीं है परन्तु सोने की जिस मात्रा का उल्लेख मैं ने किया है वह इन्हीं लोगों से पकड़ा गया था ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या माननीय मंत्री को सोने के चोरी आयात के किसी प्रसंग में किन्हीं सरकारी कर्मचारियों का हाथ होने के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है ?

श्री त्यागी : नहीं, श्रीमान् । उन से सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधि के अनुसार व्यवहार किया जाता है ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम : चालू वर्ष में अधिक सोना पकड़ा गया है अथवा गत वर्ष में ?

श्री त्यागी : मुझे खेद के साथ सदन को यह बतलाना पड़ता है कि इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा कम सोना हाथ लगा है ।

श्री राम चन्द्र रेड्डी : क्या स्वयं सीमा शुल्क प्राधिकारियों पर भी किसी प्रकार की निगरानी रखी जाती है ?

श्री त्यागी : मैं प्रश्न को सुन नहीं सका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : संकेत यह है कि सम्भवत: सीमा शुल्क प्राधिकारियों की सहायता अथवा आंख-छिपाव से सोने का चोरी आयात सम्भव हो सकता हो ।

श्री त्यागी : परन्तु निगरानी रखने वाले प्राधिकारियों पर भी अग्रेतर निगरानी रहती है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

विमान यातायात नियन्त्रण में उच्च शिक्षण

*५०४. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन आई० ए० एफ० अधिकारियों की संख्या जो विमान यातायात नियन्त्रण में उच्च शिक्षार्थ संयुक्त राजतंत्र (बृटेन) भेजे गए हैं ; तथा

(ख) उक्त प्रशिक्षण की प्राप्ति कर आए अधिकारियों की संख्या ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) दो ।

(ख) एक ।

डा० राम सुभग सिंह : इस वर्ष प्रशिक्षणार्थ कितने अधिकारियों को संयुक्त राजतंत्र भेजने का विचार है ?

सरदार मजीठिया : सामान्यतः हमें केवल एक ही स्थान प्राप्त रहता है और हम अभी तक एक ही व्यक्ति को भेजते रहे हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार का विचार यहां अधिकारियों के प्रशिक्षणार्थ कोई स्कूल चलाने का है ?

सरदार मजीठिया : अभी तक सरकार को इस अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता का अनुभव नहीं हुआ है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह सत्य है कि कुछ एक एशियाई देश अपने अधिकारियों को प्रशिक्षणार्थ हमारे विमान-क्षेत्रों पर भेजते हैं ?

सरदार मजीठिया : इस विषय के लिए नहीं ।

श्री जी० एस० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या कोई ऐसी योजना सरकार के पास है जिस से इन अधिकारियों द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान असैनिक विमान यातायात अधिकारियों को भी दिया जा सके ?

सरदार मजीठिया : मुझे कहना पड़ता है कि यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसा प्रश्न है जो संचरण मंत्री को सम्बोधित होना चाहिए ।

प्रदेशी सेना के भूतपूर्व सैनिकों की पुनः नियुक्ति

*५०५. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** (क) क्या रक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसे प्रसंगों की कुल संख्या क्या है जिन में सेवायोजकों ने अपने नौकरों को प्रदेशी सेना की नौकरी से लौटने पर पुनः नियुक्त करने से इन्कार कर दिया हो ?

(ख) प्रदेशी सेना के उन सैनिकों की कुल संख्या क्या है जो उक्त सेना में भरती होने से पूर्व सरकारी अथवा प्राईवेट नौकरी कर रहे थे ?

(ग) सेवायोजकों द्वारा उन्हें पुनः नियुक्त करने से इन्कार करने पर क्या पग उठाए गए हैं और उनका क्या परिणाम हुआ है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) २६ ।

(ख) इन अंकों का देना लोक-हित के अनुकूल नहीं होगा ।

(ग) जब प्रदेशी सेना की एककों का विघटन हुआ तो सरकार को यह सूचना मिली कि कुछ एक सेवायोजकों ने अपने भूतपूर्व नौकरों को पुनः नियुक्त करने से इन्कार कर दिया है इस पर प्रदेशी सेना अधिनियम, १९४८, को संशोधित करने का निश्चय हुआ और प्रदेशी सेना (संशोधन) अधिनियम १९५२ संसद् द्वारा पारित किया गया । इस में प्रदेशी सेना के विघटन पर लौटने वाले व्यक्तियों की प्राईवेट सेवा में पुनः नियुक्ति का उपबन्ध है । परन्तु इस के परिणामों का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका है क्योंकि प्रदेशी सेना (संशोधन) अधिनियम, १९५२ का प्रवर्तन एककों के विघटन के पश्चात् हुआ ।

बर्माशैल छात्रवृत्तियां

*५०६. **श्री एस० एन० दास :** क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान

मंत्री १६ जून, १९५२, को पूछ गए तारांकित प्रश्न सं० ८५३ के उत्तर और उस पर पूछे गए अनुपूरक प्रश्न की ओर निर्देश करते हुए बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाबारो कालिज छात्र-वृत्तियों और बर्मा शैल टैक्निकल छात्रवृत्तियों के अभ्यर्थियों का चुनाव हो चुका है;

(ख) यदि हो चुका है तो क्या वह सभी अपनी अपनी संस्थाओं में प्रविष्ट हो चुके हैं ;

(ग) प्रत्येक प्रसंग में प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की कुल संख्या; तथा

(घ) उन संस्थाओं के नाम जिन में दूसरी श्रेणी की छात्रवृत्तियां पाने वाले अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए हैं तथा उन देशों के नाम जहां वह स्थिति हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख) । हां, श्रीमान् ।

(ग) लौबॉरो कालिज छात्रवृत्तियों के लिए २६८ और बर्मा शैल टेक्निकल छात्रवृत्तियों के लिए ५२५ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे।

(घ) दूसरी श्रेणी अर्थात् बर्मा शैल टेक्निकल छात्रवृत्तियों के अभ्यर्थी बृटेन में स्थित शैल रीफाईनरीज़ और लंदन के इम्पीरियल कालिज आफ़ साइंस एण्ड टेक्नालोजी में प्रविष्ट हो चुके ह ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं अभ्यर्थियों के नाम, उन संस्थाओं के नाम जिन से वह आए हैं और उन की शास्त्रीय योग्यताएं जान सकता हूं ?

श्री के० डी० मालवीय : ५५ अभ्यर्थियों का इन्टर्व्यू किया गया और उन में से तीन चुने गए। इन में से दो तो बर्मा शैल टेक्निकल छात्रवृत्ति योजना के अधीन और एक आसाम आयल कम्पनी की छात्रवृत्ति योजना के अधीन चुने गए ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं उन संस्थाओं के नाम जान सकता हूं जहां से यह अभ्यर्थी लिए गए अर्थात् यह कि उन की शैक्षिक योग्यताएं क्या थीं ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इस प्रश्न के लिए पूर्वसूचना चाहिए ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने अभ्यर्थी इन्टर्व्यू के लिए बुलाए गए ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं बतला चुका हूं कि कुल ५५ अभ्यर्थियों को इन्टर्व्यू के लिए बुलाया गया था।

श्री ए० के० बसु : हम जान सकते हैं कि क्या वापस लौटने पर इन छात्रों के सेवा योजना की कोई आशा है ?

श्री के० डी० मालवीय : हमें ऐसी आशा है, श्रीमान् ।

श्री एस० एन० दास : यह अभ्यर्थी किन देशों को भिजवाए जाने के पात्र हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : बर्मा शैल के छात्र बृटेन को और आसाम आयल कम्पनी के केनाडा को भेजे जाते हैं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : हम जान सकते हैं कि क्या इन छात्रों को किन्ही विक्षिष्ट कामों पर जो सरकार की

दृष्टि में हैं सेवायुक्त करने के विचार से चुना गया है।

श्री के० डी० मालवीय : उन्हें विशिष्ट आशय से भेजा गया है।

अध्यक्ष महोदय : किस के अधीन सेवा-युक्ति--कम्पनी के अधीन अथवा सरकार के अधीन ?

श्री के० डी० मालवीय : इन छात्रों के विषय में बर्मा शैल और आसाम आयल कम्पनी के विशिष्ट लक्ष्य हैं और उन्हें विशेष विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या उनका सेवायोजन सीधा कम्पनी के अधीन होगा अथवा भारत सरकार के अधीन ?

श्री के० डी० मालवीय : हमारे पास इस सम्बन्ध में कोई विशेष योजनाएं नहीं हैं, परन्तु सम्भवतः उनकी सेवायुक्ति कम्पनियों द्वारा ही होगी।

श्री सारंगधर दास : क्या छात्रों और कम्पनियों के बीच कोई समझौता इस आशय का होता है कि लौटने पर उन्हें वर्षों तक सेवायुक्त रखा जाएगा ?

श्री के० डी० मालवीय : इन छात्र-वृत्तियों की व्यवस्था वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा की गई है। ऐसा समझा जाता है कि वापस लौटने पर छात्रों की सेवायुक्ति उन्हें भेजने वाली कम्पनियों द्वारा हो सकेगी।

इम्पीरियल बैंक आफ़ इंडिया

*५०७. **श्री ए० एम० टामस** : (क) वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इम्पीरियल बैंक आफ़ इंडिया ने अपनी पाकिस्तान स्थित शाखाओं को बन्द करने का निश्चय कर लिया है अथवा बन्द कर दी है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो इस निर्णय के कारण क्या हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) २५ कार्यालयों में से जो विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान में काम करते रहे थे १६ जुलाई और सितम्बर, १९५२ के बीच बन्द कर दिए गए हैं।

(ख) पाकिस्तान के स्टेट बैंक की पाकिस्तान के केन्द्रीय बैंकिंग प्राधिकार के रूप में स्थापना के उपरान्त इम्पीरियल बैंक की पाकिस्तान स्थित शाखाएं स्टेट बैंक के एकमात्र अभिकर्ता के रूप में सरकारी काम करती रहीं। परन्तु यह नैशनल बैंक आफ़ पाकिस्तान की स्थापना तक के लिये अस्थाई प्रकार की व्यवस्था थी। अप्रैल और सितम्बर, १९५२, के बीच उक्त बैंक ने सरकारी काम सम्भाल लिया। कुछ तो इस कारण से कि सरकारी काम हाथ से निकल गया था और कुछ इसलिये कि यह स्पष्ट हो गया था कि अधिकांश स्थानों पर पर्याप्त काम नहीं था कि जिस के आधार पर इम्पीरियल बैंक आफ़ इंडिया और नैशनल बैंक आफ़ पाकिस्तान दोनों चल सकते, इम्पीरियल बैंक आफ़ इंडिया को अपनी उक्त १६ शाखायें बन्द करनी पड़ीं।

श्री ए० एम० टामस : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि क्या शेष शाखाओं को भी बन्द करने का कोई विचार है ?

श्री एम० सी० शाह : नहीं, श्रीमान्।

श्री ए० एम० टामस : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि विभाजन के पश्चात् इन सभी शाखाओं की सम्मिलित रूप में औसत वार्षिक आपणन राशि (क्य.कर)

अथवा कर्मवाहक पूंजी यथार्थतः क्या रही है ?

श्री एम० सी० शाह : हमारे पास यह सूचना प्राप्य नहीं है।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या इम्पीरियल बैंक की इन प्रदेशों में कोई सम्पत्तियां भी थीं, और यदि थीं तो उनका क्या हुआ ?

श्री एम० सी० शाह : १९५१ में हमें यह सूचना प्राप्त हुई थी कि उन की सम्पत्तियां २१ करोड़ ९३ लाख थीं। ऐसे ही देय भी थे--समय-देय, अभियाचन-देय, विनियोग, इत्यादि।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : क्या भारत में भी पाकिस्तान का कोई बैंक काम कर रहा है ?

श्री एम० सी० शाह : बम्बई का हबीब बैंक।

अध्यक्ष महोदय : उनका अभिप्राय यह है कि क्या इस समय भारत में कोई ऐसा बैंक काम कर रहा है जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं समझता हूं कि हबीब बैंक पहले भारत में रजिस्टर हुआ था। बाद में वह लोग पाकिस्तान चले गए परन्तु भारत में अभी तक उनकी शाखायें चल रही हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति : पाकिस्तान में इम्पीरियल बैंक की शाखायें बन्द हो गई हैं तो उस की सम्पत्ति का क्या हुआ ?

श्री एम० सी० शाह : अभी तक नौ शाखाएं वहां काम कर रही हैं। कुछ समय-देय कुछ अभीयाचन-देय, कुछ विनियोग इत्यादि थे। इन सब का समायोजन हो चुका है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय

***५०८. श्री एस० एन० दास** : क्या **गृहकार्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५० और १९५१ में भारत के उच्चतम न्यायालय ने और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने कितने दिन काम किया ;

(ख) क्या सभी उच्च न्यायालयों तथा भारत के उच्चतम न्यायालय को एक जैसी लम्बी छुट्टियां मिलती हैं ; तथा

(ग) यदि नहीं तो इन न्यायालयों में से प्रत्येक में कितने कितने समय की लम्बी छुट्टियां मिलती हैं ?

गृहकार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग) तक। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११**।]

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इन न्यायालयों को जो यह छुट्टियां मिलती हैं यह वही हैं जो उन्हें १५ अगस्त ११४७, से पूर्व मिला करती थीं ?

श्री दातार : यह वही हैं।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, मैं पूछ सकता हूं कि इन लम्बी छुट्टियों का उद्देश्य क्या है ?

श्री दातार : स्वास्थ्य सुधार।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या बढ़े हुए और एकत्रित

हुए काम को ध्यान में रखते हुए सरकार ने छुट्टियों की लम्बी कालावधि को कम करने के प्रश्न पर विचार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह तो स्पष्टतः कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

श्री ए० के० बसु : क्या यह सत्य है कि लम्बी छुट्टियों के कालान्तर में उच्चतम न्यायालय देहली नगर में बैठता ही नहीं है?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : क्या आप केवल उच्चतम न्यायालय की ओर ही संकेत कर रहे हैं ?

मैं समझता हूं कि एक जज अविलम्बनीय तथा महत्वपूर्ण विषयों के लिये नियुक्त रहता है जो कभी तो यहां बैठता है और कभी कहीं और। उसका क्षेत्राधिकार भारत-व्यापी होता है ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या उच्च न्यायालयों में, विशेषकर त्रावनकोर उच्च न्यायालय में काम एकत्रित हो रहा है, और यदि यह सत्य है तो क्या यह दशा लम्बी छुट्टियों के कारण है और इसलिये भी है कि उच्च न्यायालयों में बहुत अधिक छुट्टियां रहती हैं ?

डा० काटजू : प्रत्येक न्यायालय में अविष्ट काम तो रहता है। यह दशा अत्यधिक छुट्टियों और लम्बी छुट्टियों के कारण है या अन्यथा यह व्यक्तिगत राय का विषय है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि प्रश्नों के रूप में इस आक्रमण को चलाये रखना उचित होता।

श्री के० के० बसु : यह बहुत कम है.....

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के प्रश्न पूछने से पूर्व माननीय सदस्यों को कानून और न्यायालयों का थोड़ा बहुत अनुभव होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के काम को इतनी हल्की दृष्टि से नहीं जांचना चाहिये ।

श्री नम्बियार : हम ऐसा नहीं कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं अगले प्रश्न को लेता हूं ।

वेला-पूर्वसूचक यंत्र

*५०९. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वेला-पूर्वसूचक यन्त्र का निर्माण सर्वप्रथम कब और कहां हुआ था ।

(ख) क्या यह सत्य है कि यह यन्त्र वेलाओं की पूर्वसूचना बहुत पहले दे सकता है, और यदि ऐसा है तो कितने वर्षों तक के लिए ?

(ग) समुद्रतटीय भूमि की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए यह यन्त्र कहां तक सहायक हो सकता है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) प्रथम प्रामाणिक वेला-पूर्वसूचक यन्त्र इंगलैंड में १८७९ में बनाया गया ।

(ख) यह यन्त्र कई वर्ष पूर्व वेलाओं के सम्बन्ध में पूर्वसूचना दे सकता है यदि पत्तन के कार्यचालन में प्राकृतिक अथवा कृत्रिम कारणों, अर्थात् ड्रेजिंग इत्यादि से कोई विशेष परिवर्तन न हो चुका हो।

(ग) तटवर्तीय भूमि की स्थिति का अनुमान लगाने में यह सहायक नहीं हो सकता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि इस बहुत पुराने और संजटिल यन्त्र के बिम्ब रूप में चौबीस भाग होते हैं तथा इन में से कुछ एक सूर्य और चन्द्र के प्रतिबिम्ब होते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ! हमें इस विषय में नहीं जाना चाहिये । यह विषय इस सदन के लिए अत्यधिक टेक्निकल है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि संसार भर में इस प्रकार के कितने यन्त्र पाये जाते हैं और क्या भारत भूमापन विभाग आधुनिक प्रकार के एक ऐसे नये यन्त्र का आयात कर रहा है जिस में ४२ बिम्ब होंगे ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : नई माडर्न मशीन पुरानी मशीन की जगह लगा दी गई है और वह सन् १९५१ से काम कर रही है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सत्य है कि भारत भूमापन विभाग १९५५ के लिए पूर्वसूचन कर रहा है, और यदि ऐसा है तो क्या इन पूर्वसूचनों के परिणाम पुस्तकों के रूप में छपवाये जायेंगे तथा यदि छपेंगे तो यह पुस्तकें किन लोगों में बांटी जायेंगी।

श्री के० डी० मालवीय : यह पूर्वसूचन छप चुके हैं । वह प्रतिवर्ष छपते रहते हैं और वह उन सभी कम्पनियों तथा अन्य लोगों को दिये जाते हैं जिन्हें उन में अभिरुचि होती है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सर्वप्रथम यन्त्र कब भारत में लाया गया, यह कहां रखा हुआ है और किस विभाग द्वारा इस का प्रयोग किया जा रहा है ?

मौलाना आजाद : वर्ष १९२२ में वह कच्छ और काठियावार की तरफ लगाई गई थी ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सत्य है कि किदरपुर में १८८० से वेलाओं के रिकार्ड रखे गये हैं और उनका आशय इस बात की जांच करना था कि क्या डेल्टा (त्रिकोण) पर स्थित बंगाल धीरे धीरे डूबता जा रहा है ? यदि यह सत्य है तो उन से क्या पता चलता है ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, मैं इस विषय से अवगत नहीं हूं ।

भारतीय विकास कार्यक्रम

*५१०. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वित्त** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विभिन्न योजनाओं, जैसे कोलम्बो, पंचवर्षीय, भारत-यू० एस०, टेक्निकल सहयोग समझौता, भारत-यू० एन० टेक्निकल सहयोग इत्यादि के अन्तर्गत चलने वाले भारतीय विकास कार्यक्रम की योजना आयोग द्वारा इस आशय से जांच की गई है कि उस के परिणामों का अनुमान लगाया जा सके ;

(ख) यदि की गई है तो क्या इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट तय्यार कर के प्रकाशित की गई है; तथा

(ग) क्या ऐसी जांच के फलस्वरूप भविष्य के लिए किन्हीं परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है, और यदि दिया गया है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) भारत-यू० एस० टेक्निकल सहयोग समझौते के अधीन अब तक बनाये गए कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना में सम्मि-

लित हैं । कोलम्बो योजना और यू० एन० स्कीम के अन्तर्गत टेक्निकल सहायता का सम्बन्ध पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित परियोजनाओं से है । योजना आयोग योजना के प्रथम वर्ष के कार्यक्रमण का अनुमान लगाने में लगी हुई है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) समय समय पर सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श द्वारा यथावश्यक परिवर्तन तथा समायोजन कर लिए जाते हैं ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या वर्तमान निरीक्षण के समय विकास से सम्बद्ध विभिन्न विभागों की संरचना की जांच की गई है, और क्या योजना आयोग द्वारा कोई ऐसे सुझाव दिए गए हैं जिन से उन विभागों का पुनः संगठन किया जा सके और विकास-कार्य अधिक दक्षता और मितव्ययिता के साथ किया जा सके ?

श्री बी० आर० भगत : योजना आयोग ने कार्यक्रम के आलोचनात्मक मुल्यांकन सम्बन्धी यन्त्र को अभी हाल ही में चालू किया है । कुछ एक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है । और उन के प्रतिवेदनों के प्राप्त होने में कुछ समय लगेगा । संगठनात्मक संरचना और कर्मकौशल के सम्बन्ध में वास्तविक सिपारिशों की अभिपूर्ति तभी हो सकती है ।

श्री एस० एन० दास : इस बात को देखते हुए कि बहुत सी वर्तमान योजनाएं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली गई हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन वर्तमान योजनाओं के कार्यक्रमण की जांच की गई है और पता चला है कि पर्याप्त टेक्निकल कर्मचारियों की कमी के कारण काम को बहुत हानि पहुंची है, और यदि ऐसा है तो सरकार ने इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त संख्या में टेक्निकल कर्मचारियों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय किए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यथार्थतः यह प्रश्न योजना आयोग से सम्बन्ध रखता है ।

श्री बी० आर० भगत : यद्यपि इस में योजना आयोग की ओर संकेत है मैं कह देना चाहता हूं कि इस अभिकथन में कुछ भी सत्य का अंश नहीं है । केन्द्रीय सरकार सभी राज्य सरकारों को और अन्य सम्बद्ध संस्थाओं को लिख कर पूछती है कि उन्हें कितने और किस प्रकार के टेक्निकल कर्मचारियों की आवश्यकता है और फिर उन्हें वैसे कर्मचारी दिलवाने का भरसक प्रयत्न किया जाता है । इस समय कहीं भी टेक्निकल कर्मचारियों के अभाव के कारण हानि नहीं हो रही है ।

श्री एस० एन० दास : इन योजनाओं के निष्पादन के हेतु अब तक सरकार कितने व्यय के लिए वचन बद्ध हो चुकी है ?

श्री बी० आर० भगत : श्रीमान्, मुझे कहना पड़ता है कि इस प्रश्न का सम्बन्ध भी योजना आयोग से है, अतः इसका उत्तर आभारी मंत्री को देना चाहिए । परन्तु मैं इतना बतला सकता हूं कि योजना के प्रथम वर्षीय कार्यक्रम के अनुसार कार्यक्रम में २०० करोड़ रूपये का व्यय सम्मिलित था, परन्तु मैं समझता कि यह ३०० करोड़ रूपये तक चला जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इसे योजना आयोग पर ही छोड़ना ठीक होगा ।

श्री एस० एन० दास : प्रश्न के भाग (ख) के प्रति दिए गए उत्तर के सम्बन्ध में मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार योजना आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में की गई जांच पड़ताल के आधार पर कोई रिपोर्ट बनाने के लिए तय्यार है ?

श्री बी० आर० भगत : यह रिपोर्ट अभी आएगी ।

अध्यक्ष महोदय : यह सब प्रश्न इस प्रक्रम पर तो संशात्मक से हैं । पहले रिपोर्ट आ लेनी चाहिए ।

भारतीय खनिज-कार्यालय

*५११. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४८ में स्थापित भारतीय खनिज-कार्यालय की संरचना, कृत्य तथा वार्षिक व्यय क्या हैं ?

(ख) इस प्रकार की पृथक संस्था की आवश्यकता कैसे प्रतीत हुई ?

(ग) उक्त कार्यालय द्वारा खनिज-संसाधनों के संरक्षण, अनुसंधान तथा तत्-सम्बन्धी लिटरेचर के प्रकाशन के सम्बन्ध में क्या सुधार किए गए हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) से (घ) तक एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जा रहा है । [**देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२**।]

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं जान सकता हूं कि इस कालान्तर में अब तक किसी खनिज पदार्थ के शोषणार्थ किसी फर्म को कोई रियायत दी गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह इतना व्यापक प्रश्न है कि इसका उत्तर देना कठिन है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : इस कार्यालय की संरचना के बाद से ।

श्री के० डी० मालवीय : कार्यालय द्वारा बनाए गए नियमों के अन्तर्गत कितनी ही रियायतें दी गई होंगी ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं जान सकता हूं कि क्या गत चार वर्षों से नियमों की संरचना तथा उन्हें अन्तिम रूप देने का काम अभी तक चल रहा है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : हां अभी जारी है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : यह कब तक तैयार होंगे, क्या अभी इस में और समय लगने वाला है ?

मौलाना आजाद : हां, कुछ वक्त और लगेगा ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : यह जो मैंगनीज़ ओर डम्प्स हैं वह अब तक किस वजह से एकस्पलायट नहीं किये गये, बावजूद इसके कि काफ़ी अर्सा हो गया जब यह डिस्कवर किये गये थे ? क्या इस वजह से कि उस में खर्चा बहुत पड़ा था या कि उन की क्वालिटी बहुत खराब है ।

मौलाना आजाद : इस सिलसिले में कुछ कार्यवाहियां हुई हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बतला सकता ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो खनिकर्म राज्य-विषय है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : परन्तु यह उस कार्यालय का काम है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है।

नगर प्रशासन (अंडेमान)

*५१३. **श्री नानादास** : (क) **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार को कोई अभ्यावेदन इस विषय का प्राप्त हुआ है कि अंडेमान द्वीप में नगर-प्रशासन की स्थापना की जाय ?

(ख) यदि हुआ है तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) यह विषय अभी विचाराधीन है।

श्री नानादास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि अंडेमान द्वीपों में नगर-प्रशासन की स्थापना में सरकार को क्या रुकावटें सामने आ रही हैं ?

श्री दातार : हमने अंडेमान द्वीपों के मुख्यायुक्त से रिपोर्ट मांगी है; उसके आने पर अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

श्री नानादास: मैं जान सकता हूं कि क्या कोई ऐसा अभिकरण, सरकारी अथवा अर्द्ध-सरकारी मौजूद है जो स्वास्थ्य-सम्बंधी प्रशासन, पीने के पानी की व्यवस्था, कर-संग्रह इत्यादि की देख रेख कर रहा हो ?

श्री दातार : मुख्यायुक्त एक मत्रणा समिति के परामर्श से इन सभी चीज़ों की देख रेख कर रहा है।

श्री नानादास : श्रीमान् क्या यह सत्य है कि मुख्य सड़कों पर भी बेअन्त गंदगी पड़ी रहती है जिसे उठाया नहीं जाता, सड़कों पर झाड़ियां उग रही हैं, लाखों लोग रोगग्रस्त हो रहे हैं और नगर-क्षेत्र में भी किसी शौचालय अथवा मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है, तथा यह कि पीने के पानी का बड़ा अभाव है ?

श्री दातार : यह यथार्थ नहीं है।

श्री एन० श्री कान्तन नायर : इस बात को देखते हुए कि यात्रा, यान आदि की सुविधाओं की कमी है क्या सरकार इन सुविधाओं तथा स्वास्थ्य व्यवस्था आदि में सुधार करने का प्रयत्न करेगी।

श्री के० के० बसु : क्या यह सत्य नहीं है कि इस द्वीप में इस लिए कोई सुधार नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह दो व्यक्तियों को जंगलों के विकास के लिए पट्टे पर दिया हुआ है ?

श्री दातार : जी नहीं।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास बोर्ड

*५१४. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **वित्त मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास बोर्ड के पास आगामी वर्ष के लिए चतुर्थ सूत्रीय कार्यक्रम के हेतु बहुत कम राशि रह गई है ; तथा

(ख) यदि समय पर धन की प्राप्ति न हुई तो भारत के अन्दर हाथ में लिए गए कार्यक्रमों को कहां तक हानि पहुंचेगी ?

वित्त मंत्री से सम्बद्ध सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) यू० एस० ए० का अन्तर्राष्ट्रीय विकास बोर्ड एक परामर्शदाता बोर्ड है जिसकी स्थापना सितम्बर १९५०, में चतुर्थ सूत्रीय कार्यक्रम के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले सामान्य तथा आधारभूत नीति सम्बन्धी विषयों पर मंत्रणा तथा परामर्श देने के लिए हुई थी।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

श्री एम० आर० कृष्ण : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि चतुर्थ सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त हुई राशि का कितना प्रतिशतक उन अमेरिकन कर्मचारियों पर खर्च किया गया है जो भारत को दिए गए हैं तथा कितना देशीय कर्मचारियों पर, तथा अनुवाद-कार्य, कार्यालय, सज्जा, प्रदाय, परिवहन आदि पर ?

श्री बी० आर० भगत : वेतन तथा कर्मचारियों के अन्य खर्च तो यू० एस० ए० द्वारा दिये जाते हैं और परिवहन इत्यादि सम्बन्धी यहां होने वाले खर्चे भारत सरकार द्वारा दिये जाते हैं ?

श्री एम० आर० कृष्ण: कुल राशि कितनी है ?

श्री बी० आर० भगत : वेतन आदि यू० एस० ए० द्वारा दिये जाते हैं। जून १९५० तक कुल पांच करोड़ डालर खर्च हो चुके हैं।

अणुशक्ति कार्यक्रम

*५१५. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कर्मचारियों की संख्या जो बृटेन के अणुशक्ति कार्यक्रम के उत्पादों के प्रयोग की प्रविधि सीखने के हेतु भारत से बृटेन भेजे गये हैं ; तथा

(ख) क्या यह प्रशिक्षित व्यक्ति देश में अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्र स्थापित करेंगे ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) तीन।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

श्री मघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात नहीं है कि यू० एस० ए० तथा यू० के० में स्थित अणुशक्ति संस्थाओं में किसी विदेशी को काम नहीं करने दिया जाता ?

श्री के० डी० मालवीय : तीन व्यक्ति ले लिये गये हैं और वह प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

श्री मेघनाद साहा : क्या वह यह प्रशिक्षण विश्वविद्यालयों में प्राप्त कर रहे हैं या अणुशक्ति संस्थाओं में ?

श्री के० डी० मालवीय : दो, अर्थात श्री वाजे और श्री सीताराम, को प्रशिक्षण के लिये मेलबोर्न स्थित अणुशक्ति संस्था के उपकरण विभाग में रखा गया है। श्री शाहयार को शिक्षणार्थ यू० के० भेजा गया है। जहां वह प्रोफ़ेसर ब्लाकेट के अधीन अन्य छात्रों के साथ जुगफ़्रांजोख, स्विटज़रलैंड में पर्वत—शिखा पर स्थित अनुसंधान प्रयोगशाला में शिक्षण प्राप्त करेंगे।

श्री मेघनाद साहा : यह अणुशक्ति संस्थाएं नहीं हैं। बृटिश अणुशक्ति संस्था हारवेल तथा अन्य स्थानों पर है। यह तो केवल विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध संस्थाएं हैं। अतः इस बात को देखते हुए कि कोई भी देश हमारे छात्रों को अणुशक्ति के काम में प्रशिक्षण नहीं दे रहा है क्या यह परमावश्यक नहीं है कि हमारा देश उन संस्थाओं को प्रोत्साहन दे जिन्हों ने अभी से अणुशक्ति सम्बन्धी प्रशिक्षण देना प्रारम्भ कर दिया हुआ है ?

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या कोई विदेशी वैज्ञानिक भारत में अणुशक्ति सम्बन्धी अनुसंधान में सहयुक्त हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : नहीं, श्रीमान् ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि एक विदेशी वैज्ञानिक बम्बई स्थित टाटा इन्स्टीट्यूट में काम कर रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं नहीं जानता ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार अणुशक्ति के प्रयोग सम्बन्धी अनुसंधान से उसके सम्बन्ध के विषय में जांच करेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : हम पूछताछ करेंगे।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या मैं जान सकता हूं कि इसका उद्देश्य क्या है, अर्थात क्या अणुशक्ति का प्रयोग सैनिक प्रयोजनों के लिये किया जायगा अथवा शांतिपूर्वक प्रयोजनों के लिए ?

श्री के० डी० मालवीय : इन छात्रों को वहां अणुशक्ति सम्बन्धी मूल प्रशिक्षण के हेतु भेजा जाता है ।

ग्राम शिक्षा

*५१६. **श्री सी० आर० चौधरी** : शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या डाक्टर पी० एस० देशमुख ने ग्राम शिक्षा के सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) क्या शिक्षा मंत्रालय को इस योजना का ज्ञान था अथवा इसे उनका अनुमोदन प्राप्त था ;

(ग) उक्त योजना की अभिपूर्ति की कहां तक आशा है ; और

(घ) इस पर होने वाले व्यय का कितना अंश केन्द्र द्वारा दिया जायगा और कितना राज्यों द्वारा दिए जाने की आशा है ।

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) जी हां ।

(ख) यह योजना शिक्षा मंत्रालय को भेज दी गई है ।

(ग) तथा (घ)। इस पर विचार हो रहा है ।

श्री जांगड़े : क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि किसी राज्य ने ग्राम विश्वविद्यालय स्थापित किया है, और उस विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति और अन्य विश्वविद्यालयों की शिक्षा पद्धति में क्या अंतर है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे मालूम नहीं है।

श्री बी० एस० मूर्ति: इस योजना के मुख्य लक्षण क्या हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : यह एक विस्तृत योजना है ।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या इस विशेष योजना का योजना आयोग के साथ समन्वय हो चुका है ?

अध्यक्ष महोदय : स्पष्टतः यह विचाराधीन है ?

श्री वैलायुधन : समाचार पत्रों में यह संवाद देखने में आया है कि यह योजना योजना आयोग द्वारा अनुमोदित हो चुकी है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है अथवा नहीं ।

श्री के० डी० मालवीय : सरकार समाचार पत्रों में निकलने वाले संवादों के

लिए उत्तरदायी नहीं है। यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह योजना शिक्षा मंत्रालय के विचाराधीन है।

श्री वीरस्वामी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार राज्य सरकारों से यह आग्रह करेगी कि वह अनिवार्य शिक्षा जारी कर दें ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री श्यामनन्दन सहाय : क्या श्री देशमुख द्वारा प्रस्तुत की गई योजना के विषय में विश्वविद्यालयों से परामर्श लेने की कोई प्रस्थापना है, और क्या उक्त योजना मूल शिक्षा योजना के समाकार हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नकारात्मक है। दूसरे भाग का उत्तर यह है कि, जैसा कि मैं पहले बतला चुका हूं, सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं क्या इस योजना का अभिप्राय अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, मैं नहीं जानता।

दार्ष्टिक शिक्षा

*५१७. **डा० रामा राव** : **शिक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने किन्हीं विदेशी फिल्म विशेषज्ञों को दार्ष्टिक शिक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया है ;

(ख) यदि बुलाया है तो उक्त विशेषज्ञ-मंडल कब भारत में पधार रहा है और उन का काम किस प्रकार का होगा ; तथा

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा किया जाने वाला अनुमानित व्यय ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) उक्त मंडल भारत में पहुंच चुका हुआ है। भारत के दो अन्य शिक्षा विशेषज्ञों के सहयोग से वह देहली और मैसूर में श्रव्य-दार्ष्टिक शिक्षा के सामान और पुस्तक-चित्रण कार्य सम्बन्धी प्रशिक्षण-एंव-उत्पादन कार्य चालू करेंगे, जिन का प्रयोग देश की शिक्षा संस्थाओं और सामाजिक शिक्षण कार्यक्रमों में किया जा सकेगा।

(ग) लगभग १२,००० रुपये।

डा० रामा राव : क्या अन्य लोगों को आमन्त्रित करने से पूर्व सरकार ने इस विषय में भारतीय विज्ञेषज्ञों का आमंन्त्रित करने का प्रयत्न किया था ?

श्री के० डी० मालवीय : यह बतलाया जा चुका है कि हम ने इन दो भद्रपुरुषों को बाहर से बुलाया है और उन्हें हमारे यहां के लोगों का सहयोग प्राप्त है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : देहली और मैसूर में जो दो प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हो रहे हैं वह कब तक चालू हो जाएंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : अति शीघ्र।

श्री एस० एन० दास : इस मंडल के कितने सदस्य हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं यह पहले ही बतला चुका हूं कि दो व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है।

श्री केलप्पन : वह किस देश से आ रहे हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : एक तो केनेडा से हैं, श्री नारमन मेकलारन और दूसरे यूनाइटेड किंगडम से हैं।

सरदार हुक्म सिंह : हम ने यूनेस्को से जो प्रार्थना की थी कि हमें श्रव्य-दार्ष्टिक अनुसंधान कार्य के लिए श्री ग्रीन की सेवायुक्ति अस्थाई रूप से प्राप्त होनी चाहिए उसका क्या हुआ ?

श्री के० डी० मालवीय : वह नहीं आ सके ।

श्री केलप्पन : क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि हमें अपने विशेषज्ञ उन देशों को भेजने चाहिएं और यह नहीं होना चाहिए कि हम विदेशी विशेषज्ञों को यहां बुलवाएं ?

श्री के० डी० मालवीय : यह एक अल्पकालीन प्रशिक्षण कोर्स है । यह लोग यूनेस्को के भेजे हुए आए हैं । तीन महीनों में वह कितने ही लोगों को तैयार कर देंगे ।

बिहार जनगणना रिपोर्ट

*५१८. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अमृत बाज़ार पत्रिका (कलकत्ता संस्करण) दिनांक १२ अक्तूबर, १९५२, में प्रकाशित इस संवाद की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि बिहार जनगणना रिपोर्ट केवल इस लिए रुकी पड़ी है कि मानभूम ज़िले की बहुत सी जनगणना स्लिपें नहीं मिल रही हैं ;

(ख) क्या इस संवाद में कुछ सत्यता हैं ; तथा

(ग) यदि है तो क्या सरकार ने इस विषय में कोई जांच की है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) हजारीबाग में स्थित जनगणना सारणीकरण कार्यालय में जनगणना सम्बन्धी स्लिपों के छांटने में कुछ अस्थाई गड़बड़ सी हो गई थी जिसका अयथार्थ वर्णन उक्त संवाद में दिया गया है । जब यह बात बिहार में जन-गणना कार्य के अधीक्षक को ज्ञात हुई तो उन्हों ने तुरन्त ही उक्त कार्यालय की कार्यव्यवस्था को ठीक कर दिया । उक्त अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मानभूम ज़िले की और छोटा नागपुर डीविज़न के प्रत्येक ज़िले की सभी स्लिपों का पता चल गया था और उनका प्रयोग सारणियां बनाने में किया गया । मानभूम ज़िले और सारे राज्य भर की सारणियां बाद में पूरी होकर रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में पहुंच गई थीं । हो सकता है कि इस गड़बड़ के कारण इस राज्य के सारणीकरण के काम में लगभग दो महीनों का विलम्ब पड़ गया हो ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या इस तथ्य में कुछ सत्यता है कि कम से कम कुछ समय तक तो यह स्लिपें कार्यालय में नहीं मिलीं और उन के बारे में यह रिपोर्ट हुई कि वह मिल नहीं रही हैं ?

श्री दातार : सारणियां तो मिल गई थीं । गड़बड़ इस कारण से हुई कि कुछ स्लिपों का प्रयोग टिकट संख्या २—जीविकोपार्जन के साधन—सम्बन्धी कुछ प्रविष्टियों (एन्ट्री) के सारणीकरण के लिए—हो रहा था । परन्तु, उन अंकों का प्रयोग करने के पश्चात् उन्हें वापस उनकी अपनी गठड़ी में नहीं रखा गया, जहां उन्हें रखा जाना चाहिए था, वरन् कहीं और ही रख दिया गया । सी कारण से गड़बड़ हुई ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या इस तथ्य में कुछ सत्यता है कि पहले तो यह निदेश

दिए गए थे कि इन स्लिपों में भाषा के स्तम्भ को खाली छोड़ दिया जाय परन्तु बाद में यह निदेश दिए गए कि इन्हें पेन्सिल से भर दिया जाए, और यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने इस सम्बध में कुछ कार्यवाही की है?

श्री दातार: मैं सदन को सूचित कर देना चाहता हूं कि इसगड़ बड़ का भाषा सम्बन्धी सारणीकरण से नितान्त कोई सम्बन्ध नहीं है। वह टिकट नं० ९ है। जहां तक मुझे ज्ञात है ऐसे कोई निदेश नहीं निकाले गए। उस समय तो यह भाषा-वार सारणीकरण हो ही नहीं रहा था।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न।

श्री गिडवानी: ५१९।

श्री वैलायुधन: यह प्रश्न एक व्यक्ति विशेष, अर्थात एक स्त्री के विषय में है। क्या यह पूछा जा सकता है?

अध्यक्ष महोदय: इस को इसी लिए प्रविष्ट किया गया है कि अध्यक्ष के मतानुसार यह पूछा जा सकता था।

श्री वैलायुधन: कितने ही साधारण प्रश्न रद्द कर दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय: हां, प्रश्न संख्या ५१९।

श्रीमती जनकुमारी असगर

*५१९. **श्री गिडवानी:** क्या गृह-कार्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या अभी कुछ समय तक श्रीमती जनकुमारी असगर नाम की एक स्त्री भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में काम कर रही थी;

(ख) क्या देश के विभाजन के उपरान्त श्रीमती जनकुमारी असगर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में काम करने लगी और उसके पति श्री असगर ने पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान सरकार के सैनिक विभाग में नौकरी प्राप्त कर ली;

(ग) क्या श्री असगर कई बार भारत में आया और देहली में श्रीमती जनकुमारी असगर के पास ठहरा;

(घ) क्या श्री असगर की डेरादून (उत्तर प्रदेश) में कोई नागरिक सम्पत्ति भी थी जिसे निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित कर दिया गया था;

(ङ) क्या श्रीमती जनकुमारी असगर ने उप-अभिरक्षक, निष्क्रान्त सम्पत्ति, डेरादून को इस आशय का कोई अभ्यावेदन दिया था कि उक्त सम्पत्ति उसे प्रत्यास्थापित कर दी जाय क्योंकि यह उसे श्री असगर से दान के रूप में प्राप्त हुई थी और यह कि वह भारत की नागरिक है;

(च) क्या श्रीमती जनकुमारी असगर अब स्थाई रूप से पाकिस्तान जा चुकी है और पाकिस्तान की नागरिक बन गई है; तथा

(छ) क्या भारत सरकार के कोई और भी ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पति अथवा पत्नियां अभी तक पाकिस्तान सरकार के अधीन काम कर रहे हों?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): इस अनुमान के आधार पर कि प्रश्न का सम्बन्ध श्रीमती जनकुमारी असगर से है भाग (क) से (घ) का उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ङ) उस सम्पत्ति के प्रत्यास्थापन के लिए नहीं कहा वरन् जब कार्यवाही चल रही थी तो उसने सम्पति के निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में अधिग्रहण के विरुद्ध इस आधार पर आपत्ति की थी कि यह

उसकी अपनी सम्पत्ति थी क्योंकि यह उसे अपने पति द्वारा दान के रूप में प्राप्त हो चुकी थी।

(च) उस ने शिक्षा मंत्रालय की अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था और ऐसा समझा जाता है कि वह पाकिस्तान चल गई हुई है। सरकार इस तथ्य से अवगत नहीं हैं कि उस ने पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण कर ली है, परन्तु वर्तमान विधि के अधीन वह भारत की नागरिक नहीं है।

(छ) यह सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जाएगी।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को ज्ञात है कि बहुत से अधिकारी जिन्होंने अपना अन्तिम विकल्प पाकिस्तान की सेवा के पक्ष में दिया था पाकिस्तान जा चुके हैं और यह कि उन में से कुछ एक सरकारी रुपये की बड़ी बड़ी राशियां अपने साथ ले गए हैं ?

श्री दातार : यह विषय इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): कब ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस विषय पर इस सदन में कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश से एक लाख रुपये ले कर चला गया है।

कुछ माननीय सदस्य : राजस्थान।

अध्यक्ष महोदय : वह इस आशय का प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि माननीय मंत्री के पास यह सूचना प्राप्य नहीं है तो वह इसे एकत्रित कर सकते हैं।

श्री गिडवानी : मैं चाहता हूं कि सभी राज्यों से यह सूचना एकत्रित की जाए कि कितने अधिकारी पाकिस्तान गए हैं और वह अपने साथ कितना सरकारी रुपया वहां ले गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को इस आशय का एक प्रश्न प्रस्तुत कर देना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न तो कुछ अत्यधिक व्यापक है, अतः ग्राह्य नहीं हो सकेगा।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं समझता कि ऐसे अस्पष्ट से प्रश्न पर क्या किया जा सकता है। यदि माननीय सदस्य हमारा ध्यान किसी विशेष चीज़ की ओर दिलाएं तो हम जांच कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि हम सारे भारत के बारे में जांच कैसे कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं इन्हें बता रहा हूं।

श्री गिडवानी : सभी राज्यों से; यही मेरा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री सारंगधर दास : प्रश्न के पिछले भाग का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने कहा था कि यह ज्ञात नहीं है कि इस स्त्री ने पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण कर ली है। मैं समझता हूं कि वह भारतीय थी। परन्तु जब उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो गया जो पाकिस्तान का नागरिक जा बना तो क्या वह फिर भी भारतीय रही और सेवायुक्त रही ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। इस विषय पर दिए गए उत्तर बहुत स्पष्ट हैं। माननीय सदस्य इस विधि सम्बन्धी प्रश्न के बारे में राय जानना चाहते हैं कि पति के अधिवास (डामीसाइल) परिवर्तन का पत्नी के अधिवास पर क्या प्रभाव पड़ा। यह एक विधि सम्बन्धी विषय है और वह इस पर कुछ राय नहीं दे सकते।

श्री सारंगधर दास: वह भारतीय सेवा में कैसे नियुक्त थी ?

अध्यक्ष महोदय: यह तो तर्क का विषय होगा।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सत्य नहीं है कि इस स्त्री को कान्स्टीटयूशन हाउस में उसको मिले कमरे में रहने दिया गया था जब कि गत सत्र के समय अन्य सभी लोगों को जो संसद्-सदस्य नहीं थे वहां से निकलने पर बाध्य किया गया था ?

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं जानता कि यह प्रश्न इस प्रश्न से किस तरह उत्पन्न होता है। हो सकता है कि वह वहां सत्र के समय में न रह कर अन्य समय में रही हो।

श्री वी० पी० नायर : सत्रकाल में, श्रीमान्। मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या सरकार ने उसे उस कमरे में रहने देने के लिए कोई विशेष अनुदेश जारी किए थे ?

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं समझता कि यह इस प्रश्न से किसी प्रकार से भी उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न।

सुरक्षा सेवाएं

*५२१. **श्री के० सी० सोधिया**: (क) राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार भाग 'ख' और 'ग' राज्यों से उन सुरक्षा सेवाओं के लिए जो केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस द्वारा उन्हें प्राप्त रहती हैं कोई खर्चा वसूल करती हैं।

(ख) यदि करती हैं तो १९५०-५१ और १९५१-५२ में प्रत्येक ऐसे राज्य से क्या खर्चा वसूल किया गया ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) भाग ख राज्यों में काम करने वाली केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस की टुकड़ियों के लिए सम्बन्द्ध राज्य सरकारों से उन का खर्चा वसूल किया जाता है। भाग 'ग' राज्यों से अभी इस प्रकार की कोई वसूली नहीं की जा रही है।

(ख) सौराष्ट्र: १,१९,७५५-३-० रुपये
(एक लाख उन्नीस हज़ार सात सौ पचपन रुपये, तीन आने)

राजस्थान: १७,३९,१३५-८-९
(सतरह लाख उन्तालीस हज़ार एक सौ पैंतीस रुपये आठ आने नौ पाई)

हैदराबाद: ३,५९,९६२-६-०
(तीन लाख उन्सठ हज़ार नौ सौ बासठ रुपये छः आने)

श्री के० सी० सोधिया: उक्त दल की कुल संख्या कितनी है ?

डा० काटजू : २०००।

श्री के० सी० सोधिया: वह कहां स्थित है ?

डा० काटजू: उनका केन्द्रीय स्थान मध्य भारत में नीमच है। जब कभी उन की आवश्यकता होती है उन्हें यहां से भेज दिया जाता है।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इसका प्रयोग हमारी पश्चिमी सीमा पर पैट्रोल करने के लिए भी होता है ?

डा० काटजू : उनका प्रयोग कुछ तो इस प्रयोजन के लिए होता है और कुछ शान्ति व्यवस्था के लिए।

प्रति-चौर्दानिदन प्रस्ताव

*५२२. **श्री के० सी० सोधिया**: (क) **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री १८ जुलाई १९५२, को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८५८

की ओर निर्देश करते हुए बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा निर्मित प्रति-चौर्यानियन प्रसाधनों का परीक्षण कलकत्ता के सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है और ठीक पाया गया है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या उनकी उपयोगिता इतनी है कि उनका निर्माण बाजार में बेचने के लिए किया जाए ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) प्रति-चौर्यानियन प्रसाधनों के दो नमूनों का परीक्षण सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा किया जा रहा है;

(i) एक मेज पर रहने वाला नमूना (टेबल माडल) सामान आदि के लिए; और

(ii) एक वहनीय नमूना (पोर्टेबल माडल) मनुष्य शरीर तथा छोटी गठड़ियों (पैकेज) के लिए।

सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोर्टेबल माडल अधिक उपयोगी पाया गया। इस प्रकार के दो एकक जो सूखी बैटरियों से चलते थे राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा पत्तनों पर परीक्षणार्थ सीमाशुल्क प्राधिकारियों को दिये गये थे। उनका परीक्षण किया जा रहा है।

(ख) यह प्रसाधन केवल उन्हीं सरकारी विभागों के लिए उपयोगी होंगे जिनका प्रति-चौर्यानियन कार्य से सम्बन्ध रहता है और अभी यह वांछनीय नहीं समझा जाता कि उनका निर्माण जनता के हाथ बेचने के लिए किया जाय।

श्री के० सी० सोधिया : क्या हमारे सीमा-शुल्क प्राधिकारी इस प्रसाधन का निरंतर प्रयोग करते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : पोर्टेबल माडल का प्रयोग किया जा रहा है, और श्रीमान हमें आशा है कि यदि यह प्रयोग सफल हुआ तो वह इसका निरन्तर प्रयोग किया करेंगे। कोई कारण जान नहीं पड़ता कि वह ऐसा न करें।

श्री सारंगधर दास : क्या इस प्रसाधन का प्रयोग हमारे सीमाशुल्क कर्मचारियों द्वारा सोना पकड़ने के हेतु किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह प्रसाधन सभी प्रकार की धातुओं को पकड़ने के लिए है।

भारत में विदेशी विनियोग

*५२३. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि मंत्रिमंडल सचिवालय के आर्थिक एवं सांख्यिकीय समन्वय उप-विभाग ने, नवम्बर, १९५०, के लगभग, भारत में विदेशी विनियोगों के विषय में एक टिप्पणी तैयार की थी और मंत्रिमंडल के सम्मुख प्रस्तुत की थी; तथा

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त संक्षेप-लेख को सदन पटल पर रखने का है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) हां श्रीमान।

(ख) नही श्रीमान।

भारत की विदेशीय सम्पत्तियाँ और देय

*५२४. **श्री तुषार चटर्जी** : वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे ?

(क) क्या यह सत्य है कि रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ने १९५० में भारत की विदेशीय सम्पत्तियों और देयों की गणना के सम्बन्ध में अपनी जांच के अन्तिम

निष्कर्ष सरकार के सम्मुख प्रस्तुत कर दिये थे ;

(ख) क्या यह सत्य है कि नवम्बर, १९५०, में इस रिपोर्ट के खुले प्रकाशन से पूर्व इस के कुछ भागों को गोपनीय ठहराया जाकर अन्ततः प्रकाशित पुस्तिका में से निकाल दिया गया था; तथा

(ग) क्या सरकार रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गई पूर्ण रिपोर्ट की एक प्रति सदन पटल पर रखेगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) तथा (ग) रिपोर्ट के गोपनीय और प्रकाशित संस्करण में केवल यही अंतर है कि गोपनीय संस्करण में सम्पत्तियों तथा देयों के सम्बन्ध में अधिक विस्तृत विवरण तथा आंकड़े दिये हुए हैं । भारतीय शासकीय अभिकरणों के अधिकार में रहने वाली विदेशीय प्रतिभूतियों और अनाधिवासियों के अधिकार में रहने वाली भारत सरकार की तथा अर्द्ध-सरकारी प्रतिभुतियों के सम्बन्ध में सविस्तार विवरण का प्रकाशन अवांछनीय समझा गया ह । विदेशीय सम्पत्तियों और देयों की सम्पूर्ण स्थिति का अनुमान तथा उद्योगों द्वारा दिये गये विवरण प्रकाशित और गोपनीय संस्करणों में सारतः एक जैसे हैं। अतः ऐसा समझा गया है कि प्रकाशित रिपोर्ट में जो विस्तार दिया गया है वह भारत की विदेशी सम्पत्तियों और देयों के विषय में यथार्थ जानकारी देने के लिए पर्याप्त हैं । सरकार को खेद है कि गोपनीय संस्करण की प्रति सदन पटल पर नहीं रखी जा सकती ।

तम्बाकू पर शुल्क

*५२६. **श्री के० आर० शर्मा** : वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या सरकार ने तम्बाकू पर शुल्क की निर्धारण विधि के परिवर्तन सम्बन्धी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल में प्रस्तुत प्रस्थापनाओं पर विचार किया है; तथा

(ख) सरकार ने उक्त शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में अब किसी विधि को अपनाने का निर्णय किया है और कब से नई विधि के प्रवर्तन का विचार है ?

वित्त मंत्री से सम्बद्ध सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी हां । सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उक्त राज्य में स्थित तम्बाकू के खेतों की उपज के केन्द्रीय उत्पादकर विभाग द्वारा सत्यापन सम्बन्धी एक नई प्रक्रिया पर चर्चा की है ।

(ख) इस विषय पर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ अभी पत्रव्यवहार हो रहा है परन्तु उत्तर सरकार के साथ इस विषय पर समझौता हो चुका है कि तम्बाकू-उत्पादकों के पंजीवद्ध होने और उन के उत्पाद के सत्यापन की नई प्रणाली के आवश्यक लक्षण निम्न प्रकार के होनें चाहिएं—

(१) तम्बाकू-उत्पादकों को ग्राम पटवारियों के पास अपने आप को पंजीबद्ध करवाना होगा—और, अन्य तथ्यों के अतिरिक्त, अपने खेतों की स्थिति, क्षे और अनुमानित उत्पाद का उल्लेख करना होगा ।

(२) फसल काटने के प्रयोगों को पद्धतिबद्ध करना होगा ।

(३) कृषक के प्रकथनों का सत्यापन (प्रमाणीकरण) उत्पाद-कर निरीक्षक द्वारा यथासम्भव ग्राम के पंच, मुखिया अथवा अन्य प्रतिष्ठित जन के समक्ष किया जाएगा ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या इस योजना के अन्य राज्यों, विशेषत: बिलार, को लागू किए जाने की भी सम्भावना है ?

श्री बी० आर० भगत : केन्द्रीय सरकार राज्यों के साथ पत्रव्यवहार कर रही है, और यदि राज्य मान गए तो सम्भव है कि यह उन्हें भी लागू हो जाए ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न स० ५२८ ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : स० ५२७, श्रीमान ।

अध्यक्ष महोदय : यह किसी अन्य तिथि पर डाल दिया गया है ।

प्रदर्शीय कार्यालय

*५२८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में अनुसूचित जातियों और आदिमजातियों के आयुक्त के कितने प्रादेशिक कार्यालय हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : एक कार्यालय जिसके क्षेत्राधिकार में आसाम, पश्चिमी बंगाल, मनीपुर और त्रिपुरा सम्मिलित हैं और जिसका केन्द्रस्थान शिलांग हैं अभी काम कर रहा है । निम्नलिखित प्रदेशों के लिए शीघ्र ही तीन और प्रादेशिक कार्यालय स्थापित करने के लिए व्यवस्था की जा रही है :—

(१) बिहार तथा उड़ीसा, केन्द्रस्थान रांची में;

(२) मध्य प्रदेश, मध्य भारत, भोपाल, विन्ध्य प्रदेश, केन्द्रस्थान नागपुर में; तथा

(३) अजमेर, बम्बई तथा राजस्थान, केन्द्रस्थान बड़ौदा में ।

दक्षिण में एक प्रादेशिक कार्यालय खोले जाने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ।

श्री रिशांग किशिंग : श्रीमान, क्या मैं जान सकता हूं कि प्रादेशिक कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, तथा उनके लिए किन योग्यताओं की आवश्यकता है ?

श्री दातार : यह नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग की सिपारिशों के अनुसार की जाती हैं । उन्होंने कुछ अधिसूचनाएं निकाली थीं जिन में कुछ योग्यताओं का उल्लेख किया गया था । बहुत से आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और उन लोगों में से एक को नियुक्त कर दिया गया था ।

श्री रिशांग किशिंग : आदिमजातियों के लोगों की ओर से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, और उन में से कितने लोगों को चुना गया है ?

श्री दातार : ऐसा ही प्रश्न गत सत्र में भी पूछा गया था । यदि माननीय सदस्य को विस्तार चाहिए तो मुझे उसके लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री के० के० बसु : क्या इन अधिकारियों में से कोई एक भी ऐसा है जो इन आदिमजातियों में से हो ?

श्री दातार : मुझे इस के लिए पूर्व सूचना चाहिए ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि कब तक सरकार दक्षिण में एक अधिकारी की नियुक्ति की योजना को अन्तिम रूप दे सकेगी ?

श्री दातार : यह प्रश्न विचाराधीन है और हो सकता है कि शीघ्र ही इसका निर्णय हो जाय।

श्री वैलायुधन : सारे भारत में कितने प्रादेशिक कार्यालय बनाए जाने का विचार है ?

श्री दातार : यह तो स्पष्ट हो चुका है, परन्तु मैं माननीय मंत्री को बतला दूं कि पांच ऐसे कार्यालय होंगे।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या इन नियुक्तियों के लिए सम्बद्ध राज्यों से भी परामर्श लिया जाता है ?

श्री दातार : मुझे कहना पड़ता है कि उन से परामर्श लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो लोग कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को भी यह जगह देने के लिये क्या उपाय किया जाता है ?

श्री दातार : वह भी संघ लोक सेवा आयोग को आवेदन दे सकते हैं।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि जो नियुक्ति हाल ही में की गई है वह किसी राज्य के किसी अधिकारी की है अथवा यह बाहर से ही किसी की सीधी नियुक्ति की गई है ?

श्री दातार : यह सीधी नियुक्ति है।

पेन्शन सम्बन्धी उत्तरदायित्व

* ५२९. **श्री गिडवानी** : (क) क्या गृह कार्य मंत्री श्री आर० के० सिधवा द्वारा १७ सितम्बर, १९५१, को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १०७२ पर उठाए गए एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की ओर निर्देश करते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस आशय के अन्तिम आदेश जारी कर दिए हैं कि उन्होंने सिंध और एन० डबल्यू० एफ० पी० के स्थायी विस्थापित सरकारी कर्मचारियों का सम्पूर्ण पेन्शन सम्बन्धी दायित्व स्वीकार कर लिया है ?

(ख) यदि नहीं, तो गत आश्वासन के अनुसार कब तक ऐसे आदेशों के निर्गमन की सम्भावना है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि विस्थापित सिंध सरकारी कर्मचारी एसोसीएशन के मतानुसार यह उत्तरदायित्व १४ लाख प्रति वर्ष के लगभग होगा ?

(घ) क्या यथार्थ राशि के निर्धारण हेतु कोई प्रयत्न किया गया है, और यदि नहीं किया गया है तो क्यों नहीं ?

(ङ) क्या पेन्शन स्कीम को अन्तिम रूप मिलने तक स्थायी विस्थापित सरकारी कर्मचारी छांटी अथवा डिस्चार्ज से मुक्त रहेंगे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) तथा (ख). जैसा कि श्री हुक्म सिंह द्वारा १४ जुलाई, १९५२, को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १७२३ के उत्तर में बतलाया जा चुका है, विभाजन से पूर्व सिंध तथा एन० डबल्यू एफ० पी० सरकार के अधीन की गई नौकरी के लिए पेन्शन सम्बन्धी उत्तरदायित्व पाकिस्तान सरकार का है। भारत सरकार वह उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं कर सकती। परन्तु उन सिंध और एन० डबल्यू० एफ० पी० के स्थाई विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के कष्ट निवारण के विचार से जो अधिवार्षिकी (सुपरएनुएशन) को प्राप्त होने पर या तो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अथवा

केन्द्रीय सरकार के अधीन स्थानों से सेवा निवृत्त होंगे यह निश्चय किया गया है कि उन्हें अस्थाई आधार पर पाकिस्तान और भारत सरकारों के अधीन उनकी कुल सार्थक सेवा पर बनने वाली पेन्शन का ६० प्रतिशत अन्तरिम सहायता के रूप में दे दिया जाय। उक्त स्कीम के प्रक्रियात्मक विस्तार के सम्बन्ध में काम हो रहा है और शीघ्र ही अन्तिम आदेश जारी हो जाएंगे।

(ग) जी हां, उक्त एसोसिएशन ने यह सूचना दी है।

(घ) जैसा कि श्री सिधवा द्वारा १७ सितम्बर, १९५१ को पूछे गए तारांकित प्रश्न सं० १०७२ के उत्तर में बतलाया जा चुका है सम्पूर्ण सामग्री के अभाव के कारण उत्तरदायित्व की यथार्थ राशि नहीं बतलाई जा सकती।

(ङ) जी नहीं ; परन्तु सभी मंत्रालयों से यह प्रार्थना की गई है कि (पेन्शन स्कीम को अन्तिम रूप मिलने तक) ऐसे स्थाई विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को जो अर्द्धवार्षिकी आयु को प्राप्त हो जाएं सेवा-विस्तार के अधिकार के उदारतापूर्ण प्रयोग द्वारा सेवायुक्त रखा जाय।

श्री गिडवानी : सरकार कब तक पाकिस्तान से अपेक्षित सामग्री की प्रतीक्षा करेगी।

श्री दातार : हम तो प्रतीक्षा कर ही नहीं रहे हैं। हम काम किए जा रहे हैं।

श्री गिडवानी : भारतीय राज्यों का कुल उत्तरदायित्व उन मुस्लिम कर्मचारियों की ओर क्या होगा जो पाकिस्तान जाने का विकल्प दे चुके हैं।

श्री दातार : इसका भी अनुमान लगाया जा रहा है।

श्री गिडवानी : यदि विशेष अन्तर नहीं है तो क्या भारत सरकार सिंध तथा एन० डबल्यू एफ० पी० के विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को पूर्ण शोधन करने का उत्तरदायित्व नहीं ले लेगी ?

अध्यक्ष महोदय : अब आप सुझाव दे रहे हैं।

श्री मेघनाथ साहा : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि बहुत से पेन्शनरों को जो इस समय पश्चिमी बंगाल में आबाद हैं और जिन्हें अपनी पेन्शन पाकिस्तान से लेनी होती है, सयय समय पर अपनी पेन्शन के लिए पाकिस्तान जाने में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है ? क्या उन्होंने इस आशय का कोई अभ्यावेदन नहीं दिया है कि कोई ऐसी विधि होनी चाहिए जिस से वह अपनी पेन्शन पश्चिमी बंगाल में ही प्राप्त कर सका करें ?

श्री दातार : मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का सम्बन्ध पाकिस्तान से आए सभी पेन्शनरों से है। माननीय सदस्य के सुझाव के अनुसार प्रबन्ध किया जा सकता है।

श्री गिडवानी : जहां तक पूर्वी पाकिस्तान का.....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत निरोध

***५१२. श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन प्रकरणों की संख्या जो निवारक निरोध अधिनियम (जैसा कि वह १९५२ में संसद् द्वारा संशोधित किया गया) के अन्तर्गत मंत्रणा बोर्ड को पृच्छा किए गए और तदुपरान्त छोड़े गए निरुद्धों की संख्या;

(ख) इस समय निरुद्ध व्यक्तियों की कुल संख्या; तथा

(ग) उन व्यक्तियों की संख्या जो—

(१) हिंसात्मक राजनैतिक गतिविधियों ;

(२) हानिकारक साम्प्रदायिक गतिविधियों ; तथा

(३) चोरबाज़ारी इत्यादि समाज-द्रोही गतिविधियों के कारण निरुद्ध हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५२, ३० सितम्बर, १९५२, को परिवर्तित हुआ। तब से ३१ अक्तूबर, १९५२, तक ३७ प्रकरण मन्त्रणा बोर्ड को पृच्छा किए गए और इस पृच्छा के फलस्वरूप निर्णीत प्रकरणों में से, उक्त कालावधि में एक व्यक्ति को छोड़ा गया।

(ख) ४९७—३१ अक्तूबर, १९५२, को।

(ग) (१) १५७

(२) ८

(३) ४५ (चोरबाज़ार वाले) २८७ (अन्य)।

विन्ध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का वेतन और मंहगाई भत्ता

*५२०. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या राज्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) देहली, हिमाचल प्रदेश और अजमेर की तुलना में, विन्ध्य प्रदेश के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के वेतन और मंहगाई भत्ते के स्तर;

(ख) क्या विन्ध्य प्रदेश के उसी श्रेणी के उन कर्मचारियों को जो भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के अधीन काम कर रहे हैं चिरकाल से उत्तम स्तर प्रदान कर दिए गए हैं।

(ग) यदि ऐसा है तो क्या कारण है कि अन्य कर्मचारियों को उनके प्रगति के अवसरों से वंचित कर दिया गया है; तथा

(घ) सरकार की पुनर्संगठन की उस प्रस्थापना का क्या हुआ जिसके अन्तर्गत उन्हें अन्य भाग 'ग' राज्यों के समकक्ष लाना था ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३**]

(ख) तथा (ग). विन्ध्य प्रदेश के लेखा कर्मचारियों को प्रथम दिसम्बर, १९५० से केन्द्रीय सरकार के वेतन स्तर दिए गए हैं, अर्थात् उस तिथि से जब से कि नियन्त्रक विन्ध्य प्रदेश का कार्यालय भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक द्वारा संभाल लिया गया। अन्य कर्मचारियों को भी जो संघीय विषयों पर काम करते हैं, अर्थात सीमाशुल्क, डाक और तार, आय-कर इत्यादि, को भी केन्द्रीय वेतन-स्तर लागू होते हैं, जो राज्य विषयों पर काम करने वालों की अपेक्षा ऊंचे हैं। यह अन्तर केवल विन्ध्य प्रदेश में ही नहीं पाया जाता है वरन् भाग 'क', 'ख' तथा 'ग' राज्यों के सभी कर्मचारियों की यही स्थिति है।

(घ) विन्ध्य प्रदेश में प्रथम अप्रैल, १९५०, से मध्य प्रदेश के समाधार पुनर्संगठन और नए वेतन स्तरों के लागू किए जाने सम्बन्धी प्रस्थापनाएं सरकार के विचाराधीन हैं तथा शीघ्र ही उन्हें अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है।

थोरियम, जिन्कोनियम तथा बेरीलियम

*५२५. **श्री बुच्चिकोटैंय्या** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री : बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में थोरियम, जिन्कोनियम और बैरिल्लियम के कुल अनुमानित निक्षेप;

(ख) १९४७ से अब तक इनका वार्षिक उत्पाद;

(ग) १९४७ से इनके वार्षिक निर्यात की मात्रा और मूल्य;

(घ) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार न यू० एस० ए० सरकार के साथ इन भारतीय खनिज पदार्थों के भारत में अणु सम्बन्धी अनुसंधान के हेतु प्रयोग के लिए समझौता किया है, और यदि किया है तो उस ससझौते की शर्त्तें क्या हैं ;

(ङ) यदि उक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या किसी ऐसी व्यवस्था के लिए बातचीत चल रही है ; तथा

(च) क्या सरकार को सम्बद्ध मंत्रालय के सचिव द्वारा इस विषय में दिए गए भाषण की प्रेस रिपोर्ट का ज्ञान है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) इन खनिजों के कुल निक्षेपों के यथार्थ तथा इस समय तक के प्राक्कलन प्राप्य नहीं हैं। परन्तु यह निक्षेप विपुल मात्रा में हैं। उनकी मात्रा के सम्बन्ध में वास्तविक अंक बतलाना लोकहित के अनुकूल नहीं होगा।

(ख) तथा (ग). १९४७ से थोरियम और बेरिल्लियम के उत्पाद और निर्यात पर रोक लगा दी गई है। वर्तमान उत्पाद के आंकड़ों का प्रकाशन मना है।

जिरकौन थोड़ी मात्रा में निर्यात के लिए पैदा किया गया है। यह अनियमित प्रकार के हैं और १०० टन से कम से लेकर लगभग १००० टन तक है।

(ग) तथा (ङ). नहीं, श्रीमान।

(च) हां, श्रीमान, परन्तु तथ्य यह है कि प्रेस का संवाद अयथार्थ था और सम्बद्ध समाचार पत्र ने उसका संसोधन कर दिया हुआ है।

सेवानिवृत्ति की आयु

*५३०. **श्री सिंहासन सिंह**: क्या गृह-कार्य मंत्री उन अधिकारियों की संख्या तथा श्रेणी बतलाने की कृपा करेंगे जिन्हें १९४८ से अब तक सेवानिवृत्ति की आयु के पश्चात सेवा-विस्तार दिया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : ऐसे प्रकरणों की एक सूची जो गृहकार्य मंत्रालय के परामर्श से अनुमोदित हुए सदन पटल पर रखी जाती है।

विवरण

उन अधिकारियों की संख्या जिन्हें मई १९४८ से सेवानिवृत्ति की आयु के पश्चात सेवा-विस्तार प्रदान हुआ।

	१९४८	१९४९	१९५०	१९५१	१९५२ (१६-११-५२ तक)
राजपत्रित अधिकारी	१५	३६	५५	३५	३४
अराजपत्रित अधिकारी	६	८	१५	२१	३९
चतुर्थ श्रेणी के व्यक्ति	२	२	२	५	१५
कुल	२१	४६	७२	६१	८८

मंत्रणा परिषद्

२७९. **श्री सोरैन** : क्या गृह-कार्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य में आदिमजाति मंत्रण परिषद् बना दी गई है अथवा नहीं; तथा

(ख) यदि बना दी गई है तो क्या सरकार का विचार सदन पटल पर एक ऐसा विवरण रखने का विचार है जिस से यह ज्ञात हो सके कि प्रत्येक राज्य की आदिमजाति मंत्रणा परिषद् में आदि जाति सदस्यों तथा अन्य सदस्यों की संख्या क्या है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां; उन सभी राज्यों में जहां आदिमजाति क्षेत्र पाए जाते हैं, सिवाए बम्बई के जहां इस की रचना की जा रही है, और हैदराबाद के जिस का प्रश्न राज्य सरकार के तीव्र विचाराधीन है।

(ख) एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट नं० ३, अनुबन्ध संख्या १४]**

यू० पी० सरकार द्वारा किए गए अनुदान

१८०. **श्री भक्त दर्शन** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री अतारांकित प्रश्न स० ६७१ दिनांक ३१ जुलाई, १९५२, के प्रति दिए गए उत्तर के भाग (ख) की ओर निर्देश करते हुए बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की युद्धोत्तर पुनः संस्थापन निधि में से दिए गए जिलावार अनुदानों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना प्राप्त हो चुकी है ?

(ख) यदि प्राप्त हो चुकी है तो उसका ब्यौरा किस प्रकार है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) तथा (ख): यू० पी० सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की युद्धोत्तर पुनःर्संस्थापन निधि में से प्रत्येक ज़िले को दिए गए अनुदानों का ब्योरा प्राप्य नहीं है क्योंकि उनका लेखा जिलावार नहीं रखा जाता। अधिकांश स्कीमों का निष्पादन ऐसे ढंग से किया गया है कि सारे ही राज्य के भूतपूर्व सैनिक उनसे लाभ उठातें हैं।

विभिन्त स्कीमों पर ३१ मई १९५२ तक २८,८०,१८६ रुपये खंच हुआ था जिसका ब्योरा उस विवरण में दिया गया है जो अब सदन पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १५]**

उक्त निधि की अवशिष्ट राशि जो उक्त तिथि तक खर्च नहीं हुई थी वह १,२६,५९,६४४ रुपये थी।

टैक्निकल प्रशिक्षण

१८१. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **शिक्षा**, मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन देशों के नाम जिनके साथ भारत द्वारा भारतीय छात्रों को टेक्निकल प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में समझौते हो चुके हैं ;

(ख) उन भारतीय छात्रों की संख्या जो सरकार द्वारा टेक्निकल प्रशिक्षण के लिए १९४८, १९४९, १९५०, १९५१ ओर १९५२ में विदेशों को भेजे गए, तथा उन देशों के नाम जहां वह भेजे गए ; तथा

(ग) प्रत्येक वर्ष में (१) भारत सरकार तथा (२) विदेशीय सरकारों द्वारा किया गया व्यय ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) (१) संयुक्त राज्य अमेरिका, तथा

(२) नारवे

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समझौता चतुर्थ सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत २८ दिसम्बर, १९५० को किया गया। उक्त सकझौते के अन्तर्गत उस देश को ४० भारतीय छात्र १९५१ में और २७ १९५२ में भेजे गए ।

नारवे के साथ समझौता संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के अन्तर्गत १७ अक्तूबर १९५२ को किया गया, इस समझौते के अन्तर्गत अभी तक कोई छात्र नहीं भेजे गए हैं।

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका को भेजे गए छात्रों के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा बहुत कम खर्च किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा इन छात्रों पर क्या खर्च किया गया ज्ञात नहीं है ।

भारतीय आलिम्पिक एसोसीएशन

१८२. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **शिक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उस अनुदान की राशि जो केन्द्रीय सरकार द्वारा १९४७-४८ से १९५२-५३ तक आई० ए० ओ० (इन्डियन आलिम्पिक एसो-सिएशन) को प्रतिवर्ष प्राप्त हुई;

(ख) क्या वर्ष १९५२-५३ के लिए कोई अतिरिक्त अथवा विशेष अनुदान दिए गए हैं, तथा

(ग) यदि दिए गये हैं तो उनकी राशि तथा दिए जाने के कारण ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसोधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना अजाद) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १६]।**

(ख) तथा (ग). १९५२-५३ में भारतीय आंलिम्पिक एसोसीएशन को १,२५,००० रुपये का विशेष अनुदान इसलिए दिया गया ताकि वह अगस्त १९५२ में हेल्सिंकी में होने वाले १५वें ऑलिम्पियाड में अपनी टीमें भेज सकें ।

फेक्टरियों में हुआ विनियोग

१८३. सरदार हुक्म सिंह : क्या रक्षा मंत्री उस पूजी की राशि बतलाने की कृपा करेंगे जो सरकार द्वारा (१) रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ विभिन्न फैक्टरियों अथवा निर्माता संस्थाओं में, ३१ अक्टूबर १९५२, को विनियोजित की, (२) उसी तिथि को, ऐसे भवनों तथा मकानों में जो रक्षा कर्मचारियों तथा कार्यालयों के के लिए तथा सभी प्रकार के सैनिक (रक्षा) भंडारों के लिए अपेक्षित थे, परन्तु उन मदों को छोड़ते हुए जो उक्त भाग (१) में उल्लिखित है, विनियोजित थी, तथा (३) पशुओं और यानों के हेतु, जिन में रक्षा के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित यन्त्रीकृत यान भी सम्मिलित हैं, उसी तिथि को विनियोजित थी ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (१) इस सूचना को प्रकट करना लोक-हित के अनुकूल नहीं होगा ।

(२) उन भवनों तथा मकानों पर हुआ परिव्यय, जो रक्षा कर्मचारियों तथा कार्यालयों के लिए और सभी प्रकार के सैनिक भंडारों का संग्रह करने के हेतु अपेक्षित थे, और जो प्रथम अप्रैल, १९४८, से पूर्व बनाए गए थे, सभी राजस्व के खाते में डाला गया था न कि पूजी के। अतः इस प्रकार पर उक्त राशि का अनुमान

लगाना कठिन है । १९४८-४९ के उपरान्त बनाए गए भवनों तथा मकानों का परिव्यय पूंजी के खाते में डाला गया है, और ऐसे भवनों पर ३१ मार्च, १९५२ तक किया गया कुल व्यय १४·६६ करोड़ रुपये है ।

(३) पशुओं तथा यानों का यम राजस्व बजट में से होता है तथा कोई पूंजी लेखा नहीं रखा जाता ।

शस्त्र और युद्धोपकरण

१८४. श्री के० सी० सोधिया : (क) क्या गृह-कार्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शस्त्रों और युद्धोपकरण के लिए १९५०-५१ और १९५१-५२ में असैनिक लाइसेंस रखने वालों की कुल अपेक्षाएं क्या थी ?

(ख) १९५०-५१ और १९५१-५२ में शस्त्रों और युद्धोपकरण की कुल कितनी मात्रा आयात की गई।

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां से यह आयात किया गया ?

(घ) विभिन्न राज्यों को इन दोनों की कितनी कितनी मात्रा बांटी गई ?

(ङ) कब तक सरकार का विचार इन चीज़ों का निर्माण भारतीय आर्डनेंस फैक्टरियों में आरम्भ करने का है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) भारत सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

(ख) से (घ). जहां तक शस्त्रों के आयात का सम्बन्ध है माननीय सदस्य का ध्यान श्री बादशाह गुप्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० २१२ के प्रति १८ जून, १९५२ को दिए गए उत्तर की ओर दिलाया जाता है । युद्धोपकरण के सम्बन्ध में तथा शस्त्रों और युद्धोपकरण दोनों के विभिन्न राज्यों को वितरण के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना का संग्रह किया जा रहा है अतः इसे यथासमय सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

(ङ) असैनिक लाइसेंसधारियों द्वारा अपेक्षित कुछ प्रकार के शस्त्रों तथा युद्धोपकरण के आर्डनेंस फैक्टरियों में निर्माण किए जाने के हेतु यथासम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

बृहस्पतिवार,
२० नवंबर, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक-सभा

बृहस्पतिवार, २० नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

११-४५ म० पू०

भारतीय वणिक जलयान (संशोधन) विधेयक

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): समुद्र में जीवन रक्षा करने के अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को प्रभावी बनाने के लिए एक विधेयक पुरः-स्थापित करने की मैं अनुमति चाहता हूं। इस अभिसमय पर लन्दन में १० जून १९४८ को हस्ताक्षर हुए थे। इसके द्वारा भारतीय वणिक् जलयान अधिनियम के जीवन-रक्षा के उपकरणों, बेतार, रेडियो नौपरिवहन साधनों और अभिसमय की अन्य तत्सम्बन्धी बातों के विषय में जो उपबन्ध हैं उनका संशोधन किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया और वह स्वीकृत हुआ।

श्री शाहनवाज खां: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

चीनी (अस्थायी अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क) विधेयक

श्री रामशेषय्या (पार्वतीपुरम): मैंने कल यह संशोधन प्रस्तावित किया था कि पृष्ठ १, पंक्ति २५ में "and six annas" ["और छै आने"] छोड़ दिए जायें।

गन्ने का भाव प्रतिमन १ रुपये १२ आने से घटा कर १ रुपए ५ आने कर देने से ही यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है। भाव को इस तरह घटाना मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। खाद्य मंत्री जो ने चीनी निर्माताओं को सुविधायें देने का वचन दिया था। यदि वे एक निश्चित राशि से अधिक राशि चीनी उत्पन्न करेंगे तो वह राशि नियंत्रण-मुक्त समझी जायगी। इस परिस्थिति में गन्ने की वर्तमान फ़सल लगाई गई थी। उत्पादकों को विश्वास था कि मूल्य स्थिर रहेंगे। सरकार ने गन्ने का मूल्य कम कर दिया है। इसके कारण २० टन गन्ना प्रति एकड़ उत्पन्न करने वाले किसान को २४० रुपए प्रति एकड़ हानि होगी। घटे हुए मूल्य के कारण किसान को गन्ने की बिक्री से अपना उत्पादन व्यय ही नहीं मिल पाएगा। एक एकड़ पर ६०० रुपया लागत लगती है और इस मूल्य के कारण उसे केवल ५३५ रुपए मिलेंगे। दक्षिण भारत में गन्ने का उत्पादन व्यय १ रुपए ८ आने प्रति मन है। अतएव मूल्य नहीं घटाना चाहिए। मूल्य घटाने से लगभग १० लाख किसानों

[श्री रामशेषय्या]

के परिवारों पर आपत्ति आ जायेगी तथा उन्हें २० करोड़ रुपये की हानि होगी। उपभोक्ताओं को इससे केवल ८ आने प्रति व्यक्ति वार्षिक लाभ होगा। इस छोटे से लाभ के लिए सरकार को कीमत नहीं घटानी चाहिए।

सरकार छोटे किसानों की परवाह नहीं करती है। सरकार उनसे अधिक राशि उत्पन्न करने को कहती है परन्तु उस राशि को बिकवाने का प्रबन्ध नहीं करती। जूट उत्पादन करने वालों का यही हाल हुआ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यासीन]

सरकार के प्रचार के कारण अधिक पैदा किया गया करोड़ों रुपयों का जूट किसानों के हाथों में ही रहा; सरकार उसे बिकवा नहीं सकी। श्रीकाकुलम ज़िले में किसानों के घर में दो करोड़ रुपये का जूट पड़ा है। इस आपत्ति के बाद सरकार ने गन्ने का भाव कम कर दिया। इससे श्रीकाकुलम ज़िले के पार्वतीपुरम बोबीह और सेल्यूर तालुकों के किसानों को १८ लाख रुपए की हानि होगी। जूट तथा गन्ने में हानि होने से उन क्षेत्रों के बहुत से परिवार नष्ट हो जायेंगे। भारत के अन्य क्षेत्रों में ऐसा ही होगा।

मेरा सुझाव है कि यदिगन्ने का भाव १ रुपए १२ आने न रखा जा सके तो कम से कम दक्षिण में १ रुपए ८ आने मन कर दिया जाये। यदि बची हुई चीनी ४ रुपए के बजाए ३ रुपए कम कर बेची जाये तो नई और पुरानी चीनी की कीमतों का अन्तर पूरा किया जा सकेगा। उसके बाद सरकार उत्पाद कर १ रुपए ६ आने प्रति हंडरवेट कर दे। चीनी निर्माता को पुरानी चीनी से जो हानि होगी वह इससे पूरी हो जायेगी। उत्पादकों को भी इससे सहायता हो जायेगी।

श्री श्यामनन्दन सहाय (मुजफ़्फ़रपुर, मध्य) : मैंने खंड ३ के लिए संशोधन दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय: पहले यह संशोधन सदन के सामने रखने दीजिए।

संशोधन प्रस्तुत किया गया।

श्री गिडवानी (थाना) : कल विपक्ष के तथा कांग्रेस दल के लोग भी इस विधेयक के विरुद्ध बोले। परन्तु मत लेते समय कांग्रेस के सदस्यों ने 'हां' कह दिया। यदि वास्तव में ही वे विधेयक को ठीक न समझते हों तो वे विरोध में मत देने से न झिझकें। मुझे इसके बारे में कोई चिन्ता नहीं है क्योंकि मैं न तो उत्पादक हूं, न उद्योगपति, न व्यापारी, न दलाल और न उपभोक्ता ही। परन्तु मेरे विचार में इससे मध्यवर्ग के लोगों पर भार पड़ जाएगा।

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री किदवई): कैसे ?

श्री गिडवानी: यदि इससे मध्यवर्ग के लोगों पर भार पड़ेगा तो मैं इसका विरोध करूंगा। सदन में सब ने इस विधेयक का विरोध किया है। एक व्यक्ति का मत है कि उत्पादकर बढ़ाने से गन्ने की फसल कम हो जाएगी। मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं। अतः यदि सरकार विधेयक को समाप्त नहीं करती तो वह कम से कम पिछले संशोधन को स्वीकार कर ले।

श्री गाडगिल: कल की बहस में बहुत सी ऐसी बातें उठाई गई थीं जो विधेयक में दी गई बातों तथा उसके सिद्धान्तों से सुसंगत नहीं थीं। यह कहा गया था कि किसान को अपर्याप्त मूल्य दिया जा रहा है, मिल मालिकों को बहुत नफ़ा दिया जा रहा है और उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य लिया जा रहा है। अतएव सरकार को इस बात

विचार करना पड़ेगा कि क्या मूल्य निश्चित करने का श्रीवास्तव का सूत्र आज मान्य है अथवा नहीं ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : नहीं है ।

श्री गाडगिल : सन् १९३५-३६ में संग्रहीत किये गये आंकड़ों के अनुसार वह १९३७ में निश्चित किया गया था । माध्य कारखानों के आधार पर जो प्रति दिन ७५० टन गन्ना पेर सकते हैं तथा यह मानकर कि उससे ९.५ से लेकर १०.५ प्रतिशत चीनी निकलती है यह अनुसूची तैयार की गई थी । मेरे विचार में सरकार को गौर से इस बात पर विचार करना चाहिए । इस समस्या पर विचार करने के लिए तथा किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए क्या एक उचित समिति का नियुक्त करना अच्छा न होगा । एक प्रकार से मिल मालिकों को उचित लाभ मिल जाता है तथा उपभोक्ता से भी उचित दाम लिए जाते हैं ।

इस विधेयक का उद्देश्य ४.६ करोड़ रुपए लेना है तथा इस बात का ध्यान रखना है कि मिल मालिकों को हानि न हो । मिल मालिकों से इसके बारे में बात की जा सकती है। मेरा सुझाव यह है कि यदि मिल मालिकों ने सरकार के आदेशों का पालन न किया हो और करार को न निबाहा हो तो सरकार उन पर उचित कार्यवाही करे । फिर लोग विधेयक के पारित होने पर आपत्ति न करेंगे ।

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपुर) : इस विधेयक का उद्देश्य उपभोक्ताओं के विरुद्ध मिल मालिकों के हितों की रक्षा करना है ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : केवल सरकार की रक्षा करना है ।

श्री ए० सी० गुहा : यह गन्ना उत्पादन करने वालों के विरुद्ध है । विधेयक में चीनी उद्योग के बारे में बहुत सी बातें मान ली गई हैं । मिल मालिकों और उद्योगपतियों द्वारा दिए गए आंकड़ों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए । जस्टिस गंगानाथ ने १९५० में जब जांच की थी तब कुछ कारखानों ने आवश्यक सूचना देने से इंकार कर दिया था । दबाव डालने से ही उचित सूचना मिल सकती है । उस जांच समिति को कुछ कारखानों और व्यापारियों ने उत्तर ही नहीं दिये थे ।

सरकार ने इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार इस बात का आश्वासन दे सकती है कि उन्होंने जो सूचना दी है वह ठीक है अथवा नहीं ?

विभिन्न कारखाने कितनी कीमत लेते हैं, इस प्रश्न का कारखानों, उनके समवायों और व्यापारियों ने विभिन्न प्रकार का जवाब दिया है । शुगर सिंडीकेट ने कहा कि केवल १३ कारखाने निश्चित मूल्य से अधिक दाम लेते हैं । समवायों ने १६ कारखानों का नाम लिया और व्यापारियों ने ७० कारखानों का नाम लिया । उनके कथनों में एकरूपता नहीं थी ।

पिछले समय चार आने का अधिभार लिया गया था जिससे कि चीनी के निर्यात को सहायता मिले । वह पैसा उद्योगपतियों ने ही हड़प लिया । जब चीनी के निर्यात का समय आया तब वह चुपके से हटा ली गई । इस बात को रिपोर्ट १९५०की समिति ने भी दी थी ।

शुगर सिंडीकेट का चीनी के उद्योग पर एकाधिकार है । विदेशी सरकार की बात दूसरी थी, हमारी राष्ट्रीय सरकार ने भी इसे बनाए रखा और संकट पड़ने पर बाद में सटकर बोर्ड और जांच समिति की सिफारिश पर वह हटाया गया । यह उद्योग सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के बल पर चल रहा रहा है तथा इस बात में शंका है कि हमारा

[श्री ए० सी० गुहा]

चीनी उद्योग विदेशी स्पर्धा में ठहर सकेगा अथवा नहीं। मैं सोचता हूं कि सदन को यह बतलाया जाना चाहिये कि आज चीनी उद्योग की क्या स्थिति है और क्या वह विदेशी उद्योग की स्पर्धा में ठहर सकता है ?

श्री किदवई: अभी नहीं।

श्री ए० सी० गुहा: फिर उपभोक्ताओं पर बोझ डाल कर कब तक इस उद्योग को संरक्षण दिया जायेगा। सरकार स्पष्ट रूप से यह बतला दे कि जिन कारखानों ने समिति को आवश्यक सूचना नहीं दी अथवा गलत सूचना दी है उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री किदवई: मैं सोचता था कि कल मने जो कहा था उससे माननीय सदस्यों को विधेयक का उद्देश्य स्पष्ट हो जायगा। सरकार के पास पांच लाख टन चीनी है। कारखानों को इससे कोई मतलब नहीं कि हम उसे घाटे में बेचें अथवा नफ़े में। नई पैदा की गई चीनी की कीमत प्रतिमन ५-६ रुपये कम होगी। सरकार की विशेष स्थिति है। जब तक पुरानी चीनी बिक नहीं जाती तब तक नई चीनी बेचना आरम्भ नहीं किया जायेगा। दो प्रकार से नुकसान बचाया जा सकता है। एक तो यह कि उपभोक्ताओं से वही मूल्य लेना जारी रखा जाए जो लिया जा रहा है तथा इस स्कंध के समाप्त होने पर नई चीनी बाजार में कम मूल्यों पर बेचने के लिए निकाली जाए। दूसरी बात यह हो सकती है कि प्रस्तुत स्कंध की कीमत घटा दी जाए और जो कुछ नुकसान हो उसे सरकार सहे तथा वह करदाताओं से अथवा उपभोक्ताओं से वसूल किया जाय। यह सरल बात थी। इसका सम्बन्ध कारखानों, उनके चलन और मिल मालिकों के दुर्व्यवहारों से अथवा उनके भविष्य के व्यवहारों से कुछ नहीं था। इसका सम्बन्ध गन्ने का भाव घटाने से भी कुछ न था सिवाय इसके कि गन्ने की कीमतें घटा दी गई हैं। सरकार को पता चला कि गन्ने का अत्यधिक मूल्य होने के कारण अनाज उत्पन्न करने वाले किसान भी गन्ना उत्पन्न करने लगे हैं। इस विषय में माननीय सदस्य सुझाव दें। सरकार और कौन सी वैकल्पिक कार्यवाही कर सकती है। क्या हम वर्तमान मूल्य पर चीनी बेचते रहें तथा नई चीनी तीन मास के पश्चात् आने दें, अथवा नई चीनी का भाव एकदम कम कर दें और इससे जो नुकसान हो वह नई चीनी के उपभोक्ताओं से पूरा कर लें।

सदन को इस बात का हर्ष होगा कि हम १ दिसम्बर से चीनी का भाव ४ रुपए कम कर सकेंगे। उपभोक्ता भी इसे पसन्द करेंगे। यह सच है कि नई चीनी पर १ मन पीछे लागत ६-७ रुपए कम हो जाएगी। अतएव उस घटी हुई कीमत में से एक रुपया ले लिया जाएगा तथा उपभोक्ताओं को जो मूल्य देना पड़ेगा वह पहिले की अपेक्षा चार रुपए कम होगा।

मेरे मित्र श्री गाडगिल ने श्रीवास्तव फ़ारमूले के विषय में कुछ कहा है। जब कभी मैं मिल मालिकों से मिला तब मैंने उनसे कहा है कि श्रीवास्तव सूत्र के अनुसार चीनी का उत्पादन व्यय बहुत अधिक है तथा उसके पुनर्विलोकन की आवश्यकता है। अभी उस पद्धति में परिवर्तन होने वाला है। पिछले सालों में सरकार गन्ने और चीनी का मूल्य निश्चित करती थी। अब चीनी पर नियंत्रण नहीं रहेगा। सरकार की यह ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी कि वह सब कारखानों में उत्पन्न की गई चीनी ले। चीनी का उत्पादन उसके उपभोग से अधिक है अतएव वह स्पर्धी मूल्यों पर बची जाएगी। मुझ विश्वास है कि वास्तव

में मिलों को लागत की उस राशि से कम राशि मिलेगी जो श्रीवास्तव सूत्र के अनुसार निश्चित की गई है। यदि सरकार को फिर चीनी पर नियंत्रण करना पड़ा तथा उसका मूल्य निश्चित करना पड़ा तो श्रीवास्तव सूत्र का पुनर्विलोकन किया जाएगा।

मेरे मित्र श्री गाडगिल ने चीनी के कारखानों के पुराने पापों की बात उठाई है। उनमें से कुछ बातें तो वर्षों पूर्व की गई थीं तथा सरकार ने उनके ऊपर उचित कार्यवाही की है। मैं गढ़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहता परन्तु मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि यदि सरकार का ध्यान किसी ऐसी बात की ओर आकर्षित किया जाये जो सरकार को न मालूम हो और जो समाप्त न हो चुकी हो तो मैं उसकी जांच करूंगा तथा देखूंगा कि कानून का प्रवर्तन हो।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नल्लोर) : सरकार और चीनी के कारखानों में गठबन्धन मालूम होता है। वे उपभोक्ता और किसानों की समस्या को नहीं समझ पाते। सरकार की नीति चीनी के उत्पादकों को सहायता करना है। चीनी का मूल्य उसके उत्पादन के पहिले निश्चित किया जाता है परन्तु गन्ने का मूल्य उसकी खेती आरम्भ होने के पश्चात् होता है। दत्त समिति ने सिपारिश की थी कि मूल्य १ रुपए ७ आने मन रखा जाए। तटकर बोर्ड के अनुसार मूल्य १ रुपए १२ आने प्रतिमन से पांच वर्षों में घटाया जाना चाहिए था। अब मूल्य एकदम घटा कर १ रुपया ५ आने मन किया जा रहा है। गन्ना बोने के पहिले प्रत्येक किसान को भरोसा था कि मूल्य रुपये १२ आने ही रहेगा। इस समय मूल्य घटाने से उसे बड़ी निराशा हुई है। इसका उन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यही हालत रही तो कुछ सालों में मिलों के लिए गन्ने की आवश्यक राशि का उत्पादन न किया जायेगा। दत्त समिति की सिपारिश के पश्चात् उर्वरकों के दाम बढ़ गए हैं तथा परिवहन व्यय भी बढ़ गया है। अतएव पहिले की अपेक्षा अब उत्पादन-व्यय भी बढ़ गया है। इसका ध्यान रखना चाहिए।

यदि गन्ने का भाव १ रुपए ८ आने निश्चित किया जाय तो चीनी की कीमत २६-२७ रुपए होगी। नई चीनी की कीमत इतनी रखी जा सकती है। उपभोक्ता को पहिले की अपेक्षा १ रुपया कम देना पड़ेगा। इससे गन्ने का उत्पादन करने वालों को ३ आने अधिक मिल जायेंगे। पुरानी चीनी भी इस भाव पर बेची जा सकती है। इस बात पर ध्यान से विचार करना चाहिए और जल्दी में विधेयक पारित नहीं करना चाहिए।

गन्ना उत्पादन करने वालों को अपने गन्नों का मूल्य पाने के लिए ठहरना पड़ता है। मिल मालिक उनका भुगतान एकदम नहीं करते। इस आस्थगित शोधन से उन्हें बड़ा नुकसान होता है। अतएव सब प्रकार से सरकार की नीति पर विचार करने की आवश्यकता है। मेरे विचार में मध्यमार्ग को अपना कर मूल्य १ रुपए ८ आने कर दिया जाए। शुल्क १ रुपए ६ आने से घटाकर केवल १ रुपये कर देने से सब बातें ठीक-ठाक हो जायेंगी।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा) : श्रीमान्, अब मत लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आवयश्क नहीं है मेरे विचार में काफी चर्चा हो चुकी है। माननीय मंत्री।

राजस्व और व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : बहुत सी बातें उठाई गई हैं। सब का उत्तर देना संभव नहीं है क्योंकि वैसा करने से बहुत सी असंगत बातें कहनी पड़ेंगी। सदन के विचाराधीन जो संशोधन है उसका गन्ने के मूल्य-निश्चयन से कोई सम्बन्ध नहीं है। गन्ने के अल्पतम मूल्य का इस संशोधन से कोई

[श्री त्यागी]

सम्बन्ध नहीं है। अतएव मैं इस बात पर कुछ न कहूंगा। श्री गाडगिल का सुझाव था कि श्रीवास्तव सूत्र लागू किया जाए।

श्री श्यामनन्दन सहाय: उन्होंने कहा था कि वह लागू न किया जाये।

श्री गाडगिल: वह पुराना सूत्र अब मान्य नहीं है।

श्री त्यागी : वह लागू नहीं किया गया है। वास्तव में उसे छोड़ दिया गया है। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि मूल्य-निश्चयन में अन्य वस्तुओं के मूल्यों की प्रवृत्ति को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अतएव सरकार की नीति अटल नहीं रह सकती। वह उस सूत्र का पल्ला पकड़े नहीं बैठी रह सकती जो वर्षों पहिले बनाया गया था। उसको केवल कुछ वर्षों तक ही लागू किया गया था। उसके बाद पता चला कि उससे किसानों के हितों को धक्का पहुंचता है। माननीय सदस्यों को मैं सूचना देना चाहता हूं कि सरकार ने इस सूत्र का पुनर्विलोकन करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। वह इस दिशा में बहुत कुछ काम कर चुकी है। पर सूत्र को लागू करने से यह कठिनाई नहीं मिट जाएगी। समस्याएं विभिन्न प्रकार की होती हैं तथा प्रत्येक समस्या को सुलझाने के लिए अलग विधि होती है। समय समय पर उठने वाली सब समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई रामबाण नहीं है।

मेरे माननीय मित्र श्री गाडगिल ने कहा है कि मिलों ने गन्नों का मूल्य नहीं चुकाया है। मैं खुद एक किसान हूं यद्यपि मेरी भूमि के केवल ढाई एकड़ खेत में ही गन्ने की खेती होती है। मुझे भी गन्ने का मूल्य अभी तक नहीं मिला है। मेरी ओर से प्रबन्ध करने वाले व्यक्ति ने पूछा कि उसके लिए क्या वह प्राधिकारियों के पास जाए ? मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मुझे मालूम है कि शीघ्र ही मिलें इस बातकी प्रार्थना करेंगी कि चीनी उठा ली जाए अथवा मार्गोपाय अग्रिम का प्रबन्ध किया जाए। कठिनाई यह है कि मिलों से चीनी उठाई नहीं जाती है अतएव उन किसानों को वे पूरा पूरा पैसा नहीं दे पातीं जिनसे उन्होंने गन्ना खरीदा था।

उत्तर प्रदेश में यह आम शिकायत है कि मिलों को बहुत से लोगों का पैसा देना शेष है। न देने का कारण यह है कि उनकी मार्गोपाय स्थिति असन्तोषजनक है और हर बार वे सरकार से कहते हैं.....

श्री गाडगिल: यह द्विगुण समस्या है। कुछ को कम और दूसरों को बिल्कुल पैसा नहीं मिला है।

श्री त्यागी: बड़ी समस्या तो शोधन के आस्थगित करने की है। जब यह प्रश्न उपस्थित होता है तब मिले चीनी उठा लेने के लिए कहती हैं। हम चीनी नहीं उठा सके हैं। स्थिति को हलका करने के लिए हमने यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

मैंने जांच तो नहीं की है पर बहुत से लोगों की यह शिकायत है कि जब गन्ने का उत्पादन करने वालों में हड़बड़ाहट फैली थी तब वे कारखानों को गन्ने ले गए तब कारखानेवालों ने खरीदने में हिचक प्रदर्शित की। परिणाम यह हुआ कि मिल मालिकों ने उन्हें जो मूल्य दिया वह उन्हें स्वीकार करना पड़ा। इस स्थिति में बहुत से मिल मालिकों ने निश्चित दर से कम दर पर गन्ना खरीदा। मैंने इसकी जांच नहीं की क्योंकि यह काम राज्य सरकार का है। इक्के-दुक्के मामलों की जांच करना और स्थानीय मामलों को सुलझाना मेरा काम नहीं है। यदि गन्ना उत्पन्न करने वालों ने कम मूल्य पर बेचना स्वीकार किया भी हो तो भी उस मूल्य पर मिलें गन्ना नहीं खरीद

सकती थीं । यदि किसी माननीय सदस्य को किसी ऐसे खास मामले की जानकारी हो जिसमें मिलों ने अपना कर्तव्य पूरा न किया हो तो मैं राज्य सरकारों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करूंगा । मुझे निश्चय है कि राज्यों की सरकारें उनकी जांच करेंगी तथा देखेंगी कि मिलें अपने कर्तव्य का पालन करें

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : मेरे विचार में वित्त मंत्री जी को यह बात मालूम है कि राज्य की सरकारों ने मिल मालिकों को अनुमति दी थी कि वे उस समय की चीनी के प्रत्यादान की दर के अनुसार निश्चित किए गए मूल्य पर गन्ना खरीद लें । उदाहरणार्थ मार्च में गन्ने से प्राप्त चीनी मई की अपेक्षा अधिक थी ।

श्री त्यागी : आप मुझसे बाद में अलग मिल लीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में सभा-सचिव मंत्री जी के उदाहरण का लाभ उठा रहे हैं ।

श्री त्यागी : अब मैं अधिक बुद्धिमान हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्रिमण्डल के सदस्य सदन में बोलने के स्थान में आपस में बोलें ।

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने संशोधन प्रस्ताव रखा जो अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्यामनन्दन सहाय आज अपना संशोधन प्रस्तुत करें ।

श्री त्यागी : उसकी सूचना नहीं दी गई ।

उपाध्यक्ष महोदय : कल उन्होंने उसकी सूचना मुझे भेज दी थी । आज कार्यालय ने उसे परिचालित कर दिया होगा ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १, पंक्ति २१ में "manufacture" ["निर्माण"] शब्द के पश्चात् "in 1952-53" ["१९५२-५३ में"] ये शब्द जोड़ दीजिए ।

यह कर लगाने का उद्देश्य यह है कि पुरानी चीनी बेचने से जो हानि हो वह पूरी की जा सके । यह सामान्य कर नहीं है । विधेयक के उद्देश्य और कारणों तथा माननीय मंत्री जी के कल के भाषणों से स्पष्ट है कि यह विधान अस्थायी है अतएव इस खंड द्वारा सरकार को सामान्य शक्ति देना उचित नहीं है ।

मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन का भार बहुत हो पर उसका कानूनी महत्व कोई नहीं होता । दूसरा मंत्री उसे मानने से अस्वीकार कर सकता है । अतएव कानून बनाते समय हमें आश्वासनों के भरोसे नहीं रहना चाहिए ।

यह ठीक होगा यदि हम इस विधान द्वारा केवल उतनी शक्ति दें जितनी आवश्यक है । सरकार तो केवल पुरानी चीनी से होने वाली हानि को पूरा करने के लिए नई चीनी पर यह कर लगा रही है ।

अतएव यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाए कि १९५२-५३ में उत्पन्न की गई चीनी पर ही यह कर लगाया जाए । मंत्री जी ने कहा था कि निर्यात आदि के लिए कर लगाना आवश्यक हो जाता है । सरकार इसके लिए मंजूरी बाद में आवश्यकता पड़ने पर ले सकती है । स्थायी शक्ति देने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

सदन इसके ऊपर विचार करे तथा संशोधन स्वीकार कर ले ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस संशोधन द्वारा माननीय मित्र ने बड़ी चतुर बात कही है । सरकार ने जो तर्क किए हैं उनके

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

अनुरूप यह बात है । सरकार का इरादा मूल्य घटाकर पहिले की चीनी पर अधिक उत्पाद कर लगा हानि पूरी करना है । नई चीनी की लागत पहिले की अपेक्षा ६-७ रुपये प्रति मन कम होगी । हमारे मित्र हम से १९५१-५२ और १९५२-५३ की चीनी में भेद करने के लिए कहकर हमारे सामने समस्या उपस्थित कर रहे हैं । मिल मालिक अवश्य ही उच्च न्यायालय में जाकर कहेंगे कि उनकी चीनी १९५२-५३ की है अतएव उस पर उपकर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वह अधिनियम की शक्ति के परे है ।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य केवल यह चाहते हैं कि १९५३-५४ में यह कर न लगाया जाये ।

श्री श्यामनन्दन सहाय: जी ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: चीनी पहचानने का प्रश्न तो रहेगा ही । इस मामले में हमें विशेष ज्ञान नहीं है । हमें चीनी के कारखानों के विषय में कुछ नहीं मालूम—माननीय सदस्य को शायद अधिक मालूम हो । यदि वे पहचान सकें कि चीनी कब की बनी है जिससे कि कर लगाया जा सके और ऐसा कोई सूत्र बना सकें जिससे प्रशासन करना सरल हो जाये तो मैं उनका संशोधन स्वीकार कर लूंगा । संशोधन से सरकार को कठिनाई हो जाती है इसलिए यह संशोधन स्वीकार नहीं करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय: १९५१-५२ और १९५२-५३ की चीनी में भेद करने का प्रश्न नहीं है । संशोधन द्वारा यह चाहा जा रहा है कि संसद् की अनुमति के बिना १९५३-५४ में बनाई गई चीनी पर कर न लगाया जाए । यदि कर लगाने तक स्कंध रोक लिया जाए तो कोई कठिनाई न होगी ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यह आश्वासन दिया जा चुका है कि यह विधान अस्थायी है तथा केवल एक वर्ष के लिए है । यदि उसके बाद यह कर लगाया जाये तो वह बात मेरे या मेरे सहयोगी के सामने उठाई जा सकती है और कहा जा सकता है कि सरकार ने दिए गए आश्वासन के विपरीत कार्य किया है । सरकार पर जब चाहे तब दोष लगाया जा सकता है । हम वहां न हों फिर भी आशा है माननीय सदस्य इसके लिए वहां अवश्य होंगे । अभी तो मालूम यह पड़ रहा है कि यह विधान १९५३-५४ में भी लागू होगा । वास्तव में यह इरादा बिल्कुल नहीं है ।

श्री राघवाचारी (पेनुंकोडा) : इसके लिए खंड चार में उपबन्ध है । सरकार जब चाहे तब कर समाप्त कर सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय: बात पलट गई है । पक्ष का सदस्य अधिक आश्वासन चाहता है तथा विरोधी दल के सदस्य को खंड से संतोष है । मैं संशोधन को औपचारिक रूप से प्रस्तुत करूंगा ।

श्री श्यामनंदन सहाय: यदि मंत्री जी संशोधन स्वीकार न करना चाहें तो मैं जोर न डालूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर अब कुछ नहीं कहना है । सरकार आश्वासन दे चुकी है ।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : मेरा संशोधन अस्वीकार किया गया है फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय: अच्छी बात है । कृपया पिछली बातें न दुहराइए ।

श्री तुलसीदास: एक रुपया उपकर लगाकर सरकार चार लाख टन चीनी से होने वाली हानि को पूरा करना चाहती है कल मैंने

बताया था अधिक उत्पादन होने से सरकार को अधिक राजस्व मिला है अतएव अगले वर्ष के उत्पादन पर एक रुपया उपकर लगाए बिना सरकार वर्तमान स्कंध को कम दामों पर बेच सकती है। उपभोक्ताओं पर उत्पादन कर द्वारा अधिक भार नहीं डालना चाहिए। यही बात मैंने कल कही थी परन्तु उसका कोई उत्तर नहीं मिला।

श्री त्यागी: मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय: यह मुख्य खंड है अतएव इस पर बोलने के लिए मैं और लोगों को नहीं रोक सकता। इस प्रक्रम में पारित होने पर यह समझा जाएगा कि विधेयक के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया है।

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव रखा जो स्वीकार हुआ।

खंड ३ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ४ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड १ विधेयक का अंग बना लिया गया।

नाम और अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिए गए।

श्री त्यागी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि: "विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष ने प्रस्ताव रखा जो स्वीकृत हुआ।

वायदे के सौदे (नियमन) सम्बन्धी विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"वायदे के सौदों से सम्बन्धित कुछ विषयों, वस्तुओं के क्रय-विक्रयाधिकार के निषेध और तत्संबंधी बातों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को जिस रूप में प्रवर समिति ने प्रतिवेदित किया है उस पर विचार किया जाये।"

मुझे सन्देह नहीं है कि माननीय सदस्यों ने प्रवर समिति का प्रतिवेदन तथा उससे अनुबद्ध उन माननीय सदस्यों का विमति-पत्र पढ़ा होगा जो प्रवर समिति के सदस्य थे। मैं सदन को रिपोर्ट के विस्तार में नहीं ले जाना चाहता। खंड १८ को छोड़ अन्य जो संशोधन प्रवर-समिति ने किये हैं वे लगभग विवादास्पद नहीं हैं।

खंड ४ उपखंड (ङ) में यह बात है कि केन्द्रीय सरकार के निदेश की प्रतीक्षा किये बिना आयोग अपनी ओर से जांच कर सकता है। इससे आयोग का जांच करने का काम नैत्यक बन जाता है। शिकायत करने और केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विशेष संस्था के लेखे की जांच करने के लिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे यह बात नैत्यक समझ कर कर सकते हैं। इससे एक प्रकार से सहायता मिलती है। कभी कभी जब किसी के लेखे का जांच करने के लिए लोग जाते हैं तो लोगों को इस बात का भय हो जाता है कि उस संस्था में कुछ दोष हैं। इन संस्थाओं को बड़े ध्यान से काम करना पड़ता है। क्योंकि ये वायदे के सौदे करती हैं। ऐसी बात फैलने से उनके सामान्य काम को नुकसान पहुंच सकता है। यदि जांच को नैत्यक कार्य बना दिया जाये तो वह डर अल्पतम हो जायेगा जो जांच के समय फैलता है।

खंड ८, खंड ४ का लगभग आनुषंगिक संशोधन है। परन्तु जहां तक खंड ८ के क्षेत्र का सम्बन्ध है अब उस संस्था से व्यापार करने वालों को अपने लेखे प्रस्तुत करने पड़ेंगे। खंड ८ (३) के अनुसार जब उपधारा (२) के अधीन किसी मान्य संस्था के व्यापार अथवा उसके सदस्यों के व्यापार की जांच की जाय तब उपखंड (क), (ख) और (ग) में बताये गये सब व्यक्तियों से तथा इन से व्यापार सम्बन्धी व्यवहार करने वाले अन्य व्यक्तियों से सूचना देने के लिए कहा जायेगा।

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

यह बहुत आवश्यक है क्योंकि वायदे के सौदे करने वाली संस्था में बहुत से लोग आ जाते हैं तथा उनकी बहियों को देखने तथा उनसे दस्तावेज़ बताने के लिए कहने की शक्ति आयोग को होनी चाहिए। खंड १० लगभग औपचारिक प्रकार का है। प्रवर समिति ने निलम्बन के विषय में केवल एक परन्तुक रख दिया है। उसमें कहा गया है कि :

"परन्तु जब एक मास से अधिक निलम्बन अवधि होने की आशा हो तब उस निलम्बन अवधि को बढ़ाने की कोई अधिसूचना नहीं निकाली जायेगी जब तक कि उस संस्था के शासी निकाय को उस बारे में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।"

वायदा बाज़ार और सरकार का उत्तर-दायित्व यह हो कि वे शासी निकाय से एक सीमित अवधि में स्पष्टीकरण मांगें।

इसके बाद खंड १८ आता है। यह मुख्य खंड है इसलिए मैं इस पर बाद में बातें करूंगा। माननीय सदस्यों द्वारा अनुबन्धित किये गये विमति-टिप्पण को मैं लूंगा। श्री सी० सी० शाह की मंत्रणा के लिए समिति को आभार मानना चाहिए। वे वायदा बाज़ारों की कार्यवाहियों को जानते हैं। उनका उस व्यापार में कोई स्वार्थ नहीं है, वे केवल कानूनी सलाह-कार हैं। अतएव वे तटस्थ रह सकते हैं। मेरी समझ में सदन और समिति उनकी सहायता की सराहना करेगी। हमने सोचा कि विधेयक से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है और वे चाहते थे कि खंड १४ के बाद निम्न आशय का एक खंड जोड़ दिया जाये।

"धारा ५ के अधीन मान्यता प्राप्त करने के प्रयोजन को छोड़कर कोई भी व्यक्ति वायदे के सौदे के नियमन और नियंत्रण के लिए न तो संगठन बनायेगा न बनाने में सहायता देगा।"

तात्पर्य यह है कि वह आरम्भ में वैसा कर सकता है। उसके बाद उसे मान्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। इस उपबन्ध का केवल यही अर्थ हुआ। यदि ये उपबन्ध स्वीकार कर लिये जायें तो सरकार की अनुमति के बिना वायदे के कोई सौदे न किये जा सकेंगे और संस्था सट्टे की कोई भी सुविधा न दे सकेगा। इन सुझावों पर विशारद समिति ने वास्तव में विचार किया था। उसकी रिपोर्ट के ११वें पैरे से स्पष्ट हो जाता है कि उन सुझावों पर विचार किया गया था परन्तु समिति ने सोचा कि प्रशासन की दृष्टि से ऐसा सामान्य निषेध ठीक न होगा तथा सरकार इसे नहीं कर सकती।

दूसरे सुझाव को हमने खंड १८, उपखंड (१) में दूसरे रूप में रख लिया है। माननीय सदस्य ने उसका जिक्र नहीं किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो कुछ किया जा चुका है वह यदि उनके मूल सुझाव में से हटा दिया जाये तो उनके तर्क में बिलकुल बल नहीं रह जायेगा। मैं उसकी तह में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं उसकी विभिन्न कठिनाइयों का स्पष्टीकरण कर सकता हूं। परन्तु मेरी समझ में सदन इस बात को मानेगा कि जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है यह विधान अपने प्रकार का एक ही है और हम सही रास्ता खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस कथन से माननीय सदस्यों को मालूम पड़ जायेगा कि जिस दूरी तक सरकार जाना चाहती है उतनी दूर तक जाने के लिए तैयार नहीं है। बम्बई राज्य को अवश्य ही इस प्रकार के करार का अनुभव है क्योंकि वहां पर बम्बई अधिनियम है। मुझे सन्देह नहीं है कि जिस माननीय सदस्य ने विमति-टिप्पण अनुबंधित किया है वे जब बोलने के लिये खड़े होंगे तब उससे ज़्यादा बोल सकेंगे जितना कि मैं अपने विशेषज्ञ सलाहकारों की सहायता से इस विषय में बोल

सकता हूं। मैं स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि इस विषय में मुझे मामूली ज्ञान है। मंत्रालय का ऐसा व्यक्ति प्रमुख है। अतएव सरकार सोचती है कि ऐसी बातों के लिए वचन न देना चाहिए जो पूरी न की जा सकें। अभी हमारा उद्देश्य बहुत सीमित है। हम वे स्थान चुनना चाहते हैं जहां हम यह नियम लागू कर सकें। हम स्पष्ट रूप से उन करारों का वर्णन करना चाहते हैं जिनका हम नियंत्रण करना चाहते हैं। सामान्य व्यापार क्रम में हम अनावश्यक रूप से बाधा नहीं डालना चाहते। उदाहरणार्थ दो लोगों के विशिष्ट प्रदान करारों में हम बाधा नहीं डालेंगे यदि इन करारों का उन स्थानों में दुर्पयोग न किया जाये जहां पर सन्थाओं को मान्यता दी जाती है तथा वे चालू रहते हैं। उस समय प्रवर समिति के सामने मैंने अपनी कठिनाइयां बतलाईं थीं। सारे देश में इसे लागू करने के लिए न तो मेरे पास संगठन है न योग्यता ही। यदि माननीय सी० सी० शाह का सुझाव मैं स्वीकार कर लेता तो मुझे ऐसा करना पड़ता। मैंने उस समय उनसे यह भी कहा था कि मैं यह आश्वासन देने के लिए तैयार हूं (विरोध पक्ष के सदस्य न जाने इसको क्या महत्व दें) कि समयान्तर से, जैसे जैसे हम इस विधान के अन्दर आने वाले व्यापारियों का नियंत्रण करने में योग्य होते जायेंगे वैसे ही वैसे हम इसे अधिक क्षेत्र में लागू करते जायेंगे। संभव है कि दो-तीन वर्षों में कुछ संपरिवर्तित रूप में वह उत्तर-दायित्व ले ले जिसकी कल्पना माननीय सी० सी० शाह ने की है। अभी तो मेरे विचार में सरकार को धीरे धीरे अग्रसर होना चाहिए और केवल उन क्षेत्रों को ही लेना चाहिए जहां संगठित सन्थाएं हों जो निश्चित नियमों के अनुसार काम करती हों और विधान को उतना लागू करती हों जितनी हम उनसे इस परिस्थिति में आशा करते हैं। सरकार उस क्षेत्र को नहीं बढ़ाना चाहती जिसमें यह विधान लागू किया जाये।

दूसरी बात भी है। विधेयक से सदन को मालूम पड़ता है कि इसमें कुछ वित्तीय बात है। हम सौदों पर कोई उपकर नहीं लगाना चाहते। न हम इन सन्थाओं से कोई चन्दा लेना चाहते हैं जिससे कि प्रशासन का हमारा खर्चा निकल आये। इस सीमित विधान से कुछ समय पश्चात् हमें अनुभव होगा। उस अनुभव से जब तक हमें अपना भार नहीं मालूम हो जाता तब तक सदन और करदाता की दृष्टि से उचित बात यह है कि हम अपना कार्यक्षेत्र न बढ़ायें। बाद में ऐसा न हो कि इस विधान के पारित कर देने पर भी इसके उपबन्ध अप्रभावी रहें क्योंकि सरकार उन्हें प्रवर्तन में न ला सके श्री सी० सी० शाह के विमति टिप्पण के बारे में मुझे इतना ही कहना था।

अगली बात बहुत जोरदार है। वह लम्बी मार करने वाली तोपों के समान हैं। मैं उसको सब से अखीर में लूंगा मुकुन्दलाल अग्रवाल ने दूसरा विमति-टिप्पण दिया है। श्रीमान् क्या उसे मैं मध्याह्न भोजन के पश्चात् लूं ?

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आपको बहुत कहना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: सम्भव है १५–२० मिनिट लग जायें।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मध्याह्न भोजन के लिए ढाई बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् सदन की बैठक ढाई बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: जब सदन की बैठक मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

हुई थी तब मैं श्री तुलसीदास किलाचन्द के विमति-टिप्पण पर चर्चा कर रहा था जिसमें श्री जी० डी० सोमानी ने भी सहयोग दिया है।

इस विमति-टिप्पण में प्रवर समिति के विरुद्ध यह शिकायत की गई है कि खंड १८ के क्षेत्र का परिवर्तन कर पिछली प्रवर समिति के विनिश्चय को हटा दिया है। जिन माननीय सदस्यों ने श्री तुलसीदास किलाचन्द का विमति-टिप्पण पढ़ा है उन्हें मालूम होगा कि पैरा १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ और शेष भाग में उन्होंने खंड १८ के परिवर्तन करने पर ही आपत्ति उठाई है। मेरे माननीय मित्र जब बोलने के लिए खड़े होंगे तब उन्हीं तर्कों पर जोर डालेंगे जो उन्होंने विमति टिप्पण में दिये हैं। वे यह भी कहेंगे कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपते समय मैंने पहले विधेयक के खंड १८ के उपबन्धों का समर्थन किया था। जब माननीय सदस्य वह सत्य बात कहेंगे और उसका निर्वचन अपने पक्ष के हित में करेंगे तब कोई आपत्ति नहीं कर सकता। यह बात सच है कि मूल प्रस्ताव करते समय मैंने खंड १८ के उपबन्धों का जिक्र किया था। उन उपबन्धों के पक्ष में जो सत्य बातें थीं वे मैंने कही थीं। इसमें मैं स्वतन्त्र न था। मेरे माननीय मित्र, जिन्होंने यह विमति-टिप्पण दिया है वे इस बात को मानेंगे कि खंड १८ के एक विशेष उपबन्ध पर जो विरोध हुआ था उस पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था। मैं बताना चाहता हूं कि जब मैंने यह विधेयक पुरःस्थापित किया था और इसके उपबन्धों की जांच अपने सीमित ज्ञान और अनुभव के अनुसार की थी तब मुझे खंड १८, उपखंड (१) के शब्द खटकते थे क्योंकि उनसे सरकार की जिम्मेवारी हो जाती थी कि वह ऐसे स्थान खोजे जहां पर किये गये अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदे उस खंड से बचाये जा सकें। अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदे खंड १५ के क्षेत्र में पूरी तरह मिला लिये गये थे पर इससे सरकार को सदन के समक्ष यह बतलाना पड़ता कि उन्होंने अमुक अमुक स्थानों का पता लगाया है जहां पर मान्य की गई संस्थायें काम कर रही हैं तथा उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र से अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों को हटा दिया है। एक प्रकार से उसके शब्द विचित्र लगते हैं और जब उसे सदन में पुरःस्थापित करने के पहिले मैं ने उन शब्दों में परिवर्तन करना चाहा तब मुझे बताया गया कि पिछली प्रवर समिति में इस विशेष खंड पर काफी विवाद हुआ था तथा एक जिम्मेवार प्रवर समिति ने वे शब्द चुने थे। यदि मैंने उन शब्दों को बदलना चाहा तो वह कठिन काम होगा। उसके लिए मैं योग्य नहीं हूं। अतएव मैं ने खंड १८ के शब्द नहीं बदले। यह इसकी पृष्ठभूमि है। विधेयक को पुरःस्थापित करते समय मैंने खंड १८ के उपबन्धों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था। प्रवर समिति के सदस्यों ने उस पर जो आपत्तियां उठाई थीं उन पर मुझे गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ा था। मेरे सहयोगी वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री ने इस काम में मेरी सहायता की थी। स्थिति को स्वीकार करने के सिवाय मेरे सामने और कोई चारा नहीं था क्योंकि प्रवर समिति के अधिकांश सदस्यों का मत भिन्न था। फिर भी उसे स्वीकार करते समय तथा खंड १८, उपखंड (३) में उन उपबन्धों को दूसरे रूप में रखते समय मुझे इसके सब परिणामों का ज्ञान था।

जिस सदस्य ने विमति टिप्पण अनुबन्धित किया है उनकी आपत्ति को मैं संक्षेप में कहूंगा उनके अनुसार सामान्य अवस्था में व्यापार करने के केवल दो तरीके हो सकते हैं--पहला तो तुरन्त प्रदान सौदे और दूसरा वायदा सौदे। बम्बई वायदा सौदे नियंत्रण अधिनियम

१९४७ ने केवल ये दो वर्ग ही माने हैं। वह अधिनियम संतोषजनक रीति से काम कर रहा है। १९५१ म प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था कि अहस्तांतरणीय प्रदान सौदों का किस प्रकार से दुरुपयोग किया गया था। पिछली प्रवर समिति के समक्ष कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जो उन तथ्यों का विरोध करे जो उससे पहिले की प्रवर समिति में गवाहों द्वारा सिद्ध किये जा चुके थे।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या पिछला साक्ष्य प्रवर समिति के समक्ष है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: श्रीमान्, वह उपलब्ध है। मैं उसे समक्ष रख सकता हूं। वह पुस्तकालय में है।

उनकी दूसरी धारणा यह थी कि वर्तमान उपबन्धों से दुर्पयोग किये सौदों पर नियंत्रण करने की जो शक्ति सरकार को मिल जाती है वह पर्याप्त नहीं है। प्रवर समिति १९५१ द्वारा संशोधित किये गये रूप में खंड जैसा था उसके अनुसार अहस्तांतरणीय प्रदान सौदों के ऊपर मान्य संथाओं का नियंत्रण सीमित क्षेत्र तक ही सीमित रहता था। इस से उन असली व्यापारियों को कठिनाई नहीं पड़ती जो ऐसे सौदे क्षेत्र के बाहर करना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्य का आभार मानता हूं कि उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने व्यापार में सद्भाव से अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदे कर सकते हैं।

जहां तक बम्बई अधिनियम का सम्बन्ध है माननीय मित्र का कहना ठीक है। बम्बई अधिनियम में वास्तव में ही सौदे दो वर्गों में विभाजित किये गये हैं। परन्तु जहां तक मुझे स्मरण है कि व्याख्या के बारे में जांच करने के सम्बन्ध में बम्बई सरकार के पास और शक्ति भी है।

अब मैं विशारद् समिति की रिपोर्ट की चर्चा करूंगा। विशेष रिपोर्ट में हम ऐसे शब्द चुनते हैं जो हमारे काम के होते हैं। माननीय सदस्य यही बात सरकार के बारे में कह सकते हैं क्योंकि सरकार ने विशारद् समिति की सब सिपारिशों को स्वीकार नहीं किया है। यह सच है कि विशारद् समिति ने अपनी रिपोट के पांचवें पैरे में सौदों के तीन भेद किये हैं—भविष्य के द्वैधरक्षण के सौदे, हस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदे और अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदे। फिर भी इस रिपोर्ट में कलकत्ते से आने वाले तथा जूट के बाज़ार का ज्ञान रखने वाले सदस्यों ने जूट के सौदों के बारे में एक विमति-टिप्पण जोड़ दिया है। उसमें कहा गया है कि "अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदे" यह नामकरण भारत सुरक्षा नियम के अनुसार उस परिस्थिति में दिया गया था जब युद्धकाल में वैसी परिस्थितियां थीं। सामान्य काल में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मालूम पड़ता है कि भारत सुरक्षा नियमों के ऐसे कुछ उपबन्ध आवश्यक वस्तुएं (अस्थायी शक्ति) अधिनियम में मिला लिये गये हैं और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कुछ वायदा व्यापार किया जा रहा है। ईस्ट इंडिया काटन एसोशियेशन ने द्वैधरक्षण सौदे और प्रदान सौदों के लिए अलग अलग उपविधियां बनाई हैं तथा इन दो प्रकार के व्यापारों के लिए करार के प्रकार भी भिन्न हैं। अन्य संथाओं के उपनियमों में भी द्वैधरक्षण करारों और प्रदान करारों में भेद किया गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जहां पर मंडियों का नियमन कई वर्षों से किया गया है वहां सट्टे के लिये नहीं अपितु विशिष्ट मात्रा में विशिष्ट दिनांकों के लिए विशिष्ट वस्तुओं के आस्थगित प्रदान के लिए जो सौदे किये जाते हैं उन पर मंडी नियमन अधिनियम लागू नहीं किया जाता। उस अधिनियम की धारा २(क) में विशेष रूप से दिया गया है कि प्रयोग किये गये "भविष्

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

प्रदान पद" में भविष्य में जहाज़ से भेजने या प्रदान के लिये कोई रोक वस्तु सम्मिलित नहीं की जायेगी।

मंडी तथा भविष्य पणन नामक, श्री बैर और श्री सैक्सन द्वारा लिखी गई विख्यात पुस्तक में मंडी अधिनियम की जो व्याख्या की गई है उसके अनुसार सामान्य बाजारों में आस्थगित नावापरेषण और अग्रे प्रदान के लिए वस्तुओं के सौदों को नहीं मिलाया गया है जैसा कि मैंने पहिले बताया है, सच बात यह है कि कुछ उन सौदों में भेद किया जा रहा है जहां पर वस्तुएं वास्तव में देना है और उन द्वैधरक्षण के सौदों में जहां पर वस्तुएं दी जायें अथवा न दी जायें। (बहुधा वस्तुएं नहीं दी जातीं)। जहां तक मुझे मालूम है विभिन्न प्रकार के वायदा सौदों में भेद करना मान्य व्यवहार और प्रथा के विरुद्ध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: वह सद्यो प्रदान करार कहलाता है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: आवश्यक नहीं कि सद्यो प्रदान करार का वही अर्थ हो। सद्यो प्रदान करार में और उस करार में जिस के अनुसार भविष्य में वास्तव ही में वस्तुएं देने की शर्त होती है, कुछ भिन्न सौदे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: जो समय लगता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान को वस्तुएं ले जाने के लिए है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: हमेशा यह बात नहीं होती। जब सामान्य व्यापार का नियमन करने के लिए कोई सन्था नहीं होती तब अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदे संभव होते हैं। कुछ व्यापारों में ऐसे सौदे पाये जाते हैं। वे सट्टे के लिए नहीं अपितु निश्चित मूल्य पर वस्तुएं प्रदान करने के लिए किये जाते हैं।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखा पटनम): बम्बई अधिनियम के अनुसार . . . .

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: में मानता हूं कि बम्बई अधिनियम भिन्न है। माननीय सदस्य जो कुछ कहने वाले हैं उससे में सहमत हूं।

डा० लंका सुन्दरम्: उनमें भेद क्या है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: अभाग्यवश बम्बई अधिनियम के उपबन्ध विशेष क्षेत्र के लिए हैं। जहां तक सोना चांदी और कपास का संबन्ध है वे बम्बई नगर को लागू होते हैं और जहां तक तिलहनों का संबन्ध है वे वृहत बम्बई के लिए हैं। उनकी प्रथा ऐसी है कि इन दो व्याख्याओं से वे अपना काम चला लेते हैं। मैंने सुना है कि उससे लोगों को कठिनाई होती है। वहां अतिछाद नहीं होता फिर भी वे अपना काम चला लेते हैं। अंत में मैं डा० लंका सुंदरम की बात लूंगा।

मैं मानता हूं कि विभिन्न प्रकार के वायदे सौदे विशेष रूप से निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं। माननीय सदस्य 'करार' शब्द की की व्याख्या बम्बई वायदा सौदे नियंत्रण अधिनियम की धारा २ में देखें। उसमें लिखा है कि :

"परन्तु यदि प्रांतीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे कि किसी सौदे वर्ग अथवा किसी वर्ग के सौदों पर इस नियम के उपबन्ध लागू न होंगे....."

वर्तमान विधेयक का खंड १८ उपखंड (१) वहां नहीं पाया जाता। उपबंध इस प्रकार का है:

"प्रांतीय सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन।"

इससे कुछ नाम्यता आ जाती है। मेरे माननीय मित्र कह सकते हैं कि वास्तविक व्यवहार में कोई नाम्यता नहीं रहती। परन्तु आवश्यकता पड़ने पर सरकार नाम्यता ला सकती है। इस सब से पता चलता है कि जब अधिनियम पारित किया गया था तब सरकार को मालूम था कि विभिन्न प्रकार के सौदों में भेद करना आवश्यक हो सकता है। स्थिति अब यह है कि यद्यपि उस अधिनियम की धारा २ के अनुसार दी गई शक्ति का बम्बई सरकार ने प्रयोग नहीं किया है फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि बम्बई नगर और उपनगर के सीमित क्षेत्र में जो बात हो वह सारे भारत में भी लागू हो। मैं मानता हूं कि बम्बई बाजार का अनुभव होने के कारण माननीय सदस्य वैसा कह सकते हैं। मैं १९५१ की प्रवर समिति का सदस्य नहीं था; संभव है गवाह सारे बम्बई के थे। संभव है सभापति जी को इस के बारे में अधिक ज्ञान है। मैं यहां केवल यह बतलाना चाहता हूं कि प्रस्तुत विधेयक सारे देश में लागू होगा। देश के कुछ भागों में व्यापारिक दशा बम्बई से बहुत भिन्न है। अतएव सैद्धान्तिक रूप से यह ठीक न होगा कि बम्बई के पूर्व दृष्टान्त जाने बूझे बिना सारे देश में लागू किए जाएं। बम्बई में भी १९४९–५० में बम्बई सरकार ने इस बात पर विचार करने तथा सिफारिश करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी कि क्या उस राज्य के मुफसिल क्षेत्रों में वह अधिनियम लागू किया जा सकता है। यदि लागू किया जा सकता है तो किन प्रतिबन्धों के साथ लागू किया जा सकता है। कपास के बारे में (क्या वह अधिनियम सारे बम्बई को लागू होगा) समिति ने अपनी रिपोर्ट के १०वें पैरे में कर्नाटक के प्रतिनिधियों की इस शिकायत का विशेषरूप से उल्लेख किया है कि उनके कपास का उचित मूल्य उन्हें बम्बई बाजार में नहीं मिलता। मैं यह नहीं कहता कि उन शिकायतों को मैं स्वीकार करता हूं और न यह कहता हूं कि यदि यह विधान सदन द्वारा पारित कर दिया गया तो ये शिकायतें इस विधान के विरुद्ध भी की जायेंगी तथा उन्हें मुझको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं उस आरक्षण के साथ इस बात का उल्लेख कर रहा हूं। मैं उस मत का उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि उससे पता चलता है कि वह अधिनियम उन लोगों के लिए संतोषजनक नहीं है जो बम्बई राज्य के तो है परन्तु बम्बई नगर में व्यापार नहीं करते। संभवतया बम्बई नगर के लोग कुछ दूसरी बात कहते यदि उनका उतना प्रतिनिधित्व किया जाता जितना मूल विधेयक के खंड १८ के समर्थकों का था।

कर्नाटक के कपास के व्यापारियों के प्रतिनिधियों ने शिकायत की थी कि बम्बई राज्य में उनके कपास का उचित मूल्य उन्हें नहीं मिलता। अतएव समिति ने सिफारिश की कि कपास के हस्तान्तरणीय सौदों के लिए एक संस्था अहमदाबाद में बनाई जाए तथा हुबली और जलगांव में अहस्तांतरणीय सौदों के लिए संथा बनाई जाएं। अतएव यह स्पष्ट है कि यद्यपि बम्बई वायदा सौदे अधिनियम में विभिन्न प्रकार के वायदे सौदों में भेद किया गया था फिर भी बम्बई मुफसिल वायदा बाजार जांच समिति ने द्वेधरक्षण सौदे, हस्तांतरणीय सौदे और अहस्तांतरणीय सौदों में भेद करने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से माना। विमति टिप्पण में माननीय सदस्य ने जो आपत्ति की है कि वहां की परिस्थितियों को जाने बिना ही समिति ने विनिश्चय किए हैं इसका यह उत्तर समझा जा सकता है।

अब जो उपबंध किए गए हैं उनको मैं लूंगा। खंड १८ (१) के मूल उपबंध के कारण अध्याय ३ और १६ सब अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों पर लागू किए गए हैं फिर भी

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

सरकार पर यह भार रखा गया है कि वह अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र को निर्धारित करेगी जिसमें मान्य संथा निश्चित वस्तुओं अथवा निश्चित वर्ग की वस्तुओं के अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों का नियमन और नियंत्रण करेगी और इस अध्याय तथा अध्याय ३ के उपबंध केवल इन क्षेत्रों में तथा इन वस्तुओं अथवा इन वर्ग की वस्तुओं के अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों पर ही लागू होंगे । इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रवर समिति ने इस विशेष खंड में परिवर्तन किया है। विमति टिप्पण में मेरे माननीय मित्र द्वारा दिए गए तर्क की मान्यता को उन्होंने पूर्णरूप से अस्वीकार किया है । हम उसको मानते हैं । मान्यता दूसरे प्रकार से दी गई है । उपखंड (३) के देखने से यह स्पष्ट हो जाएगा।

"उपधारा (१) में अन्यथा होते हुए भी यदि केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि जनहित की ृष्टि से किसी क्षेत्र में अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों का नियमन करना तथा उनका नियंत्रण करना ठीक होगा तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकती है कि उस क्षेत्र में निश्चित वस्तुओं अथवा निश्चित वर्ग की वस्तुओं के बारे में किए गए अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों पर अध्याय ३ और ४ के सब या कुछ उपबन्ध लागू होंगे। अधिसूचना में वस्तुएं तथा क्षेत्र बता दिया जायगा तथा यह भी बताया जायेगा कि किस प्रकार से उक्त उपबन्धों में से कितने उपबंध लागू किए जाएंगे ।"

इसके द्वारा विवादास्पद बात मान ली गई है। यदि बम्बई में तिलहनों के व्यापार में इस प्रकार के सौदे मान्य संथाओं के नियंत्रण में लाए जाने की आवश्यकता होगी तो इस शक्ति द्वारा सरकार वांछित प्रकार से कार्यवाही कर सकती है । मैं स्वीकार करता हूं कि बम्बई सरकार इस विशेष उपबंध के विषय में बहुत चिंतित थी क्योंकि उन्हें यह लगा कि वर्तमान व्यवहार भिन्न हैं । उन्होंने लिखकर मुझ से उसके बारे में नहीं पूछा । मैं वह बात यहां कहता हूं । मैं आश्वासन देता हूं कि खंड १८ के उपखंड ३ के उपबन्धों का प्रयोग किया जायेगा, उनकी अवहेलना न की जाएगी। इस आश्वासन को आप मान्यता दें अथवा न दें । यदि किसी राज्य की उत्तरदायी सरकार पर्याप्त जांच के बाद मामले के सब पक्षों को सुनकर अर्थात् अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों को मिलाने के पक्ष वालों को, उनको न मिलाए जाने के पक्ष वालों को, उन लोगों को जिनके मत में इससे असली व्यापारियों को कठिनाई होगी, जो लोग समझते हैं कि इसका दुरुपयोग होगा उन सबको सुनकर बम्बई सरकार को संतुष्ट करे तथा मुझ से कहे तो मैं बिना कोई हिचक के खंड १८ उपखंड ३ के उपबन्धों को लागू कर दूंगा । मेरे माननीय मित्र तथा उनके समान विचार वाले लोग मानेंगे कि जब मैंने यह कहा कि १८ (१) में मूल रूप में जो उपबन्ध हैं उनसे मेरी यह जिम्मेवारी हो जाती है कि मैं उन स्थानों की खोज करूं जहां अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदे मान्य संथाओं के नियंत्रण से अलग समझे जाएंगे । मैं इस भार का वहन नहीं कर सकता हूं । परन्तु जिन स्थानों से यह मांग की जाती है, कि वे मिलाए जायं तो मैं इस उपखंड के उपबन्धों का उपयोग करूंगा। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य मानेंगे कि इस बात में सरकार के इरादे अच्छे हैं। व्यापारी समझते हैं कि सामान्यतया सरकार किसी की बात नहीं सुनती पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि इससे उनके हितों को हानि न होगी ।

श्री नम्बियार (मयूरम) : इस विधेयक को पुरःस्थापित करने में सरकार की सदभावना है।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : वह मान्य है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: "विश्वास" बड़ी विचित्र बात है। धोखा देने वाले व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकते। धोखे की दो बातें साथ नहीं रहती। इस सम्बन्ध में.....

उपाध्यक्ष महोदय: वे कभी कभी मिल सकती हैं, अकस्मात्।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: जी, आकाश के तारे भी कभी कभी मिल जाते हैं।

इस सम्बंध में उन संशोधनों की चर्चा करना चाहता हूं जो विपक्ष के दो सदस्यों ने खंड १८ उपखंड (२) के लिए प्रस्तुत किए हैं। कभी कभी हम उन भयंकर बातों की कल्पना कर लेते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता। हो सकता है वह विश्वास की बात हो पर अक्सर वह अंधविश्वास की बात होती है माननीय सदस्य मानेंगे कि यहां खंड १८ उपखंड (२) इसलिए जान बूझकर रखा गया है जिससे कि उस स्थिति पर काबू किया जा सकता है जो कलकत्ते में पाई जाती है। कलकत्ते में जूट का व्यापार कुछ स्वीकृत ढंग से किया जाता है और यदि हम वह उप-खंड नहीं रखते तो हम वहां के सारे व्यापार में बाधा डालेंगे। सरकार को जितना मालूम है उसके अनुसार यह बात की जा रही है। अतएव यह बहुत आवश्यक है। अन्यथा विशारद समिति के विमति टिप्पण पढ़ने से माननीय सदस्यों को मालूम पड़ेगा कि एक वर्ग के मामलों को सर्वथा छोड़ना पड़ेगा। जूट में भी निश्चित रूप से सट्टा होता है, परन्तु सदन में सब विधानों के बन जाने पर भी वह चलता रहेगा। अवैध व्यापार को बंद नहीं किया जा सकता। इसके कारण कभी कभी करार पूरा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी संथा में किए गए सौदों को हम जो कानूनी शक्ति दे रहे हैं वह अवैध व्यापार को लागू नहीं होती। जिन सट्टों में दोंनो पक्ष जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं उनका हम नियंत्रण नहीं कर सकते। हमारे मित्र चाहे तो संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं पर मैं इतना कहे देता हूं कि यह बहुत आवश्यक उपबन्ध है। अन्यथा सारा कलकत्ता इस विधेयक पर आपत्ति करेगा।

३ म० प०

दो तीन विमति टिप्पण और भी हैं। समवाय को दंड देने के उपबंध पर श्री मुकुंदलाल अग्रवाल को आपत्ति है। यह कानूनी बात है कि अपराध करने वाले व्यक्ति को पकड़ा जाए तथा समवाय को दंडित किया जाए। व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता है तथा समवाय को अर्थदण्ड दिया जा सकता है।

भाषा के विषय में श्री ए० के० दत्त का एक विमति टिप्पण है। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि "due performance" ("यथोचित निष्पादन") शब्द पर्याप्त हैं। किसी सभा के अवसायन होने पर अदत्त सौदे बचते हैं। इनके यथोचित निष्पादन के लिये हमें प्रबन्ध करना चाहिए। यथो-चित निष्पादन में सब बातें आ जाती हैं यहां उसके तरीकों की चर्चा नहीं करनी चाहिये।

श्री त्रिवेदी जी को यह आपत्ति है कि उपबन्ध हस्तक्षेप्य बना दिए गए हैं। प्रवर समिति ने उनके मत को स्वीकार नहीं किया क्योंकि ऐसे विधान का सामान्यतय अपवंचन किया जाता है अतएव अपवंचन के लिये कठोर दण्ड का विधान करना आवश्यक है। उन्होंने यह बात प्रवर समिति के सामने उठाई थी और समिति ने उनकी इस बात को अस्वीकार किया कि कानून जानने वाले सदस्यों की राय को उन विषयों में भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए जहां सामान्य रूप से अपवंचन किया जाता हो।

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

बहुत से संशोधनों की सूचना दी गई है। सदन उनके बारे में जो चाहे वह कर सकता है परन्तु मेरी कठिनाई यह है कि यद्यपि वे विभिन्न वर्ग के हैं परन्तु अधिकांश संशोधन खंड १८ के बारे में हैं। अन्य संशोधन इस विधान की रचना में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं।

(**अध्यक्ष महोदय** अध्यासीन)

श्री चाको और श्री हेडा के संशोधन ठीक हैं। उनसे विधान की रचना में भेद पड़ता है। श्री चाको इस विधेयक के खंड १५ को बदलना चाहते हैं। उनका कहना बिल्कुल ठीक हो पर मेरी कठिनाई यह है कि मैं इस प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि प्रवर समिति ने उस पर विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है तथा वर्तमान रचना को ठीक समझा है। यह बात भी है कि इस प्रकार के विधान में जिसमें नियन्त्रण किया जा रहा है हमें अभी निश्चित बात मालूम नहीं है। कुछ हद तक हमने विशारद समिति की मन्त्रणा को स्वीकार किया है तथा उन विशेषज्ञों की सलाह को भी माना है जिन्होंने इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं की बारीकी से जांच की है। हमें विश्वास हो गया है कि जिस रूप में यह विधेयक प्रवर समिति से आया है उस रूप में इस से काम चल सकता है। यदि मैं अपनी अवधारणाओं को बदल दूं तथा इन संशोधनों को स्वीकार करलूं तो न जाने विधेयक का क्या हाल होगा। अतएव मैं उन संशोधनों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं जो भीषण परिवर्तन चाहते हैं। परन्तु मैं आश्वासन देता हूं कि इस बारे में सरकार निष्पक्ष रूप से विचार करेगी। सरकार यह नहीं कहेगी कि हमने इस विधेयक को पुरःस्थापित किया है अतएव इसमें हम कोई संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे। सदन से मैं यह बात नहीं कहूंगा। इस विधान की हमने पूरी तरह से जांच की है। योग्य प्रवर समिति ने इसकी सूक्ष्मतम बातों की जांच की है। उसने जो परिवर्तन सुझाए थे उन्हें हमने स्वीकार कर लिया है। सदन से निवेदन है कि वे इसे आजमा कर देखें। यदि व्यवहार में इसमें कोई अड़चनें हों, अतिक्रमण हो अथवा अपवंचन हो तो उन दोषों को मिटाने के लिये मैं नया विधान प्रस्तुत करूंगा। यह न होगा कि हम शर्म के मारे यह न कह सकें कि हम भविष्य की सब बातों को ध्यान में न रख पाए अतएव संशोधी विधेयक आवश्यक है। मुझे आशा है कि सदन मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा।

इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : (ज़िला प्रतापगढ़—पूर्व) : मन्त्री जी कह रहे थे कि अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदे इस विधेयक की व्याप्ति के बाहर रहने चाहियें। वास्तव में माननीय सदस्य की मांग अनुचित है। उनका कहना है कि उन सौदों में जिनमें पक्ष, मूल्य, समय, स्थान आदि निश्चित होता है अतएव वे सामान्य सौदे समझे जायें तथा इस विधेयक की व्याप्ति में रखे जायें। मन्त्री जी ने कहा है कि खंड १८ उपखंड (३) में इसके लिये छूट दी गई है। पर इससे तो व्यवसायियों को जांच की जाने का भय रहेगा। यह कहना कि उन सौदों को इस विधेयक के अन्तर्गत लाए जाने की सम्भावना अनुचित है।

विधेयक की रचना आपत्तिजनक है क्योंकि इससे संथाओं को एकाधिकार मिल जाता है। प्रत्येक वस्तु के लिये एक संथा की स्थापना की जाएगी तथा केवल वे ही सौदे इस विधेयक के अन्तर्गत आयेंगे जो इसके सदस्यों के द्वारा किये जायेंगे। संथाओं

को बहुत शक्ति दी गई है। वे अपना विधान खुद ही बनायेंगे, सदस्यों के प्रवेश सम्बन्धी, शासी निकायों सम्बन्धी और भागिता के पंजीयन सम्बन्धी नियम बनाने की शक्ति भी उन्हें दी गई है। यदि इन सामान्य सौदों को इन संथाओं के अधीन किया जायगा तो अनुचित होगा।

देश में विभिन्न स्थानों में वायदा बाजार है। हम उसकी अवहेलना करते हैं तथा उसे सट्टा समझते हैं। पर वह देश के आर्थिक जीवन का अंग है। मन्त्री जी को स्वयं इस विषय का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। वायदा बाजार तो मांग और पूर्ति के सिद्धान्तों पर निर्भर रहता है। किसी न किसी रूप में सदा से इसका अस्तित्व रहा है। पहिले किसान व्यापारियों पर निर्भर रहते थे जो फसल के अवसर पर किसान से कम मूल्य में फसल ले लेते थे। वायदा बाजार के कारण अब खरीदने वालों में स्पर्धा हो गई है तथा बाजार का रुख देख कर किसान भी कम अधिक फसल उत्पन्न करते हैं। अतएव मेरे मत में वायदा बाजार का बड़ा महत्व है। विमति टिप्पणों में जो सुझाव दिये गये हैं वे अनुचित हैं तथा उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए।

छोटे विनियोजक मूल्यों के उच्चावचनों को रोकने में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। संथायें बना लेने से इनको अपने क्षेत्र से हट जाना पड़ेगा। बड़े लोगों को एकाधिकार मिल जाएगा तथा वे नियम बना कर प्रवेश का नियन्त्रण करेंगे। विधेयक का क्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि छोटे विनियोजक भी सम्मिलित किए जा सकें। यदि सम्भव हो तो एक के स्थान में बहुत सी संथायें स्थापित की जायें जिससे कि स्पर्धा बनी रहे।

वस्तुओं के क्रय विक्रयाधिकार को निषिद्ध किया गया है। इससे छोटे विनियोजकों को नुकसान पहुंचेगा। माना कि उनमें से बहुत से लोग सट्टे बाज होते ह परन्तु हम उनके नियन्त्रण के लिये विधान भी तो बना रहे हैं। अतएव इन महत्वपूर्ण छोटे विनियोजकों का अस्तित्व नहीं मिटाया जाना चाहिए। वैसा करने से बड़े पूंजीपति ही लाभ उठायेंगे तथा उपभोक्ताओं और उत्पादकों को घाटा रहेगा।

इस विधेयक में मंत्रणा समिति बनाए जाने का उपबन्ध है। वह आवश्यक नहीं है। यदि वह बनाई ही जाए तो उसमें सब वर्गों के व्यापारियों के प्रतिनिधि रहने चाहियें अन्यथा वह आयोग के समान ही निकाय बन जाएगा। उसमें बड़े व्यापारियों के हितों के पोषक लोग रहेंगे तथा उसके द्वारा उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हितों की अवहेलना की जाएगी। मन्त्रणा समिति में उपभोक्ताओं और उत्पादकों के प्रतिनिधि रहने चाहियें।

संथाओं के आदर्श नियम और उपनियम बनाए जाने चाहियें जिन्हें विभिन्न वस्तुओं की संथायें आवश्यक परिवर्तन कर अंगीकार कर लें। संथाओं को अपने नियम और उपनियम बनाने का अधिकार न होना चाहिये।

श्री करमरकर: इस बात का उपबन्ध पहिले से ही किया गया है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: अभी संथायें नियम बनायेंगी तथा सरकार उनमें परिवर्तन कर सकेगी। पर व्यवहार में यह परिवर्तन किया जा सकेगा। अतएव सरकार को आदर्श नियम बनाने चाहियें जिनमें संथायें अपनी आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकें।

विधेयक में अर्थ दण्ड और जेल का उपबन्ध किया गया है परन्तु अर्थ दण्ड की राशि नहीं दी गई है। कारागार की जो अवधि दी गई है वह पर्याप्त है। ये अपराध छोटे दिखते

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

हों परन्तु वास्तव में ये बड़े अपराध हैं। इन सबकों हस्तक्षेप्य बना देना चाहिये।

संथाओं को एकाधिकार दे देना स्वाभाविक ही है। विशारद समिति के प्रतिवेदन के कारण ऐसा किया गया है। उन्होंने उपभोक्ता और छोटे व्यापारियों के हितों का ध्यान नहीं रखा। उनके प्रतिवेदन पर सारा वि क बनाना उचित नहीं है। मैं मंत्री जी की कठिनाई समझता हूं। उन्होंने सोचा कि विशेषज्ञों की राय उत्तम है। परन्तु हम भी कुछ बातें समझते हैं। मेरा सुझाव है कि इन संथाओं को अपने नियम बनाने का अधिकार न दिया जाए। यदि वे नियम बनायें भी तो उन्हें जिस को चाहे प्रवेश देने से मना करने का अधिकार न दिया जाये।

यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। बाजारों का नियमन बहुत आवश्यक है। परन्तु यदि मेरे सुझाव स्वीकार नहीं किये गये तो विधेयक का उद्देश्य पूरा न हो सकेगा।

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर): यद्यपि मैं बम्बई नगर का निवासी हूं फिर भी मुझे सट्टे का अधिक ज्ञान नहीं है। वास्तव में इस विधेयक पर अधिक मतभेद नहीं है। श्री तुलसीदास किलाचन्द और श्री जी० डी० सोमानी के विमति टिप्पण से ऐसा प्रतीत होता है कि मतभेद बहुत अधिक है। हम सब चाहते हैं कि देश के वायदा बाजारों का नियन्त्रण किया जाये जिससे कि वह बिगड़ कर सट्टा न बन जाए हम इस विधेयक द्वारा उस पर निरोध लगा रहे हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि उपभोक्ताओं और उत्पादकों का हित भी इस विधेयक में निहित है। हमें ध्यान रखना चाहिये कि इस विधेयक से उनकों हितों को आघात न पहुंचे।

सट्टा तथा उसका नियन्त्रण आवश्यक है। प्रमुख वस्तुओं के उत्पादक बहुत से होते हैं परन्तु उनके उपभोक्ता कम होते हैं जो धीरे धीरे वर्ष भर उसका उपभोग करते रहते हैं उदाहरणार्थ देश में लाखों लोग मिल कर लगभग १६० करोड़ रुपये का ४०० गांठ कपास उत्पन्न करते हैं। इसका उपभोग करने वाली कुल ४०० मिलें हैं। अतएव ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि मूल्यों में अधिक उच्चावचन न हो तथा उत्पादकों से उपभोक्ताओं को वस्तु मिल जाए। सट्टे से यह सम्भव हो जाता है। अतएव सट्टा आवश्यक है।

खड १८ के विषय में ही सारा मतभेद है। इसके अनुसार अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों पर अध्याय ३ और ४ लागू नहीं होंगे। जो प्रवर समिति के प्रतिवेदन से सहमत नहीं हैं वे चाहते हैं कि ऐसे सौदों पर भी अध्याय ३ और ४ लागू किया जाए। वास्तव में इन्हें बतलाना चाहिए कि अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों और वायदा सौदों में कोई भेद नहीं। प्रवर समिति के अनुसार इनमें पर्याप्त भेद है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि १९५० के विधेयक के १८वें खंड में और इस विधेयक के १८ वें खंड में बहुत भेद है। इसमें उपखंड (१) जोड़ दिया गया है।

पिछले विधेयक में श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने स्वयं इस बात पर जोर दिया था कि अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों पर भी अध्याय ३ और ४ लागू हो अन्यथा मान्य संथाओं के बाहर सट्टा होने लगेगा। उनका कहना ठीक था। पर इस विधेयक में इसके लिये उपबन्ध कर दिया गया है। खंड १८ में जो परन्तुक जोड़ दिया गया है उसके अनुसार वह बात न हो पाएगी। उत्पादक और उपभोक्ताओं के सौदों में सट्टे की सम्भावना नहीं रहती। संथाओं में जब व्यापारी इकट्ठे होते हैं तब ही सट्टा हो सकता है। उस परन्तुक के कारण सारी

कठिनाई मिट जाएगी। अतएव मन्त्री जी ने अपने मत में विशेष कोई परिवर्तन नहीं किया है। हमें बातों पर फिर से विचार करना चाहिये। हठता का दूसरा नाम बुद्धिमानी नहीं है।

दूसरी शिकायत यह है कि साक्ष्य लिये बिना प्रवर समिति ने खंड १८ में परिवर्तन कर दिया है। मैं वकील तो नहीं हूं परन्तु मेरे मत में जिस प्रकार साक्ष्य का अपेलेट न्यायालय भिन्न निर्वचन कर सकता है उसी तरह पिछले साक्ष्य का भिन्न निर्वचन करने का अधिकार इस प्रवर समिति को था।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यासीन]

समाचार पत्रों की प्रतिक्रिया भी अध्ययन के योग्य है। **हिन्दुस्तान टाइम्स** के मत में अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों के विषय में कोई खतरा नहीं हो सकता। **टाइम्स आफ़ इंडिया** का मत इसके विपरीत है। आज़ के अग्रलेख में जो सुझाव उसमें दिये गये हैं वे विचार करने योग्य हैं। **टाइम्स आफ़ इंडिया** ने सदस्यों की अर्हता के विषय सन्देह किया है। श्री सी० सी० शाह बहुत उपयुक्त व्यक्ति हैं क्योंकि बम्बई के अधिनियम का प्रारूप इन्हीं ने तैयार किया था। इन्हें इस विषय का ज्ञान तो है पर साथ ही साथ वायदा बाजार में इनका कोई हित निहित नहीं है। इनके अतिरिक्त हमें श्री तुलसीदास किलाचन्द, श्री जी० डी० सोमानी, श्री भवानजी ए० खीमजी और श्री आडरकर से भी अमूल्य सहायता मिली है।

अब हमें इस बात पर विचार करना है कि यदि अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदे अध्याय ३ और ४ के अन्तर्गत नहीं लाये गये तो क्या उनके कारण सट्टा होने लगेगा। मेरे विचार में वे सौदे वायदा सौदों से सर्वथा भिन्न हैं। वे छोटे सौदे होते हैं क्योंकि उतनी ही वस्तु बेची खरीदी जा सकती है जितनी पास हो और जितनी आवश्यकता हो। वायदा सौदों की भांति इनमें वस्तु का प्रमाप गुण नहीं अपितु विशिष्ट गुण दिया रहता है। कई बार तो उस जिले का नाम भी दिया रहता है जहां वस्तु उत्पन्न की गई है। जिस स्टेशन से वस्तु गाड़ियों में लादी जायेगी वह भी लिखा रहता है। ऋणभार्जन और परिशोधन की कुछ चर्चा नहीं रहती।

४ म० प०

असली विशिष्ट प्रदान सौदों में और वायदा सौदों में बहुत भेद है। यदि वस्तु का मूल्य कम हो गया हो और विक्रेता, अवधि पर वस्तु प्रस्तुत न करे तो क्रेता को असली विशिष्ट प्रदान सौदों में मूल्यान्तर नहीं देना पड़ता पर वायदा सौदों में उसे अवश्य ही देना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि वस्तुयें अवधि पर दे दी जायें तो मूल्यांतर क्यों देना पड़ेगा ?

श्री वी० बी० गांधी : फिर यह प्रश्न ही न उठेगा।

वास्तव में इन दो प्रकार के सौदों में बहुत भेद है। उन दोनों को एक सा नहीं समझना चाहिये तथा उन दोनों पर अध्याय ४ के उपबन्धों को लागू नहीं करना चाहिये।

मेरे विचार में इस विधेयक को उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाये जिस रूप में यह प्रवर समिति से आया है।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : जिस मनुष्य को सट्टे का ज्ञान अथवा अनुभव नहीं है वह इस विधान को भली भांति नहीं समझ सकता। सट्टे की बहुत आलोचना की गई है परन्तु वह आवश्यक है।

मैं विधेयक के उद्देश्यों और कारणों से सहमत हूं। केवल खंड १८ पर मेरा मतभेद

[श्री तुलसीदास]

है। यदि अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदे छोड़ दिये जाएंगे तो विधान में बड़ी भारी त्रुटि रह जायेगी। मंत्री जी का कहना है कि उन्हें पर्याप्त अनुभव नहीं है तथा यह जानने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है कि वैसे सौदे किन किन स्थानों में होते हैं अतएव उनकी राय में इन सौदों को छूट देनी चाहिये। आवश्यकता पड़ने पर वे इस विधान का संशोधन करने के लिये तैयार हैं। जब यह विधेयक रखा गया था तब सरकार का कुछ दूसरा ही विचार था। उस समय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री जी का विचार था कि जिन स्थानों में मान्य संथायें हैं उनको छोड़ कर अन्य स्थानों के अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदे पर यह विधान लागू न किया जाये। इन सौदों में भी प्रदान भविष्य में किया जाता है। सामान्य तौर से इनका केवल हिसाब से ही निबटारा नहीं होता। अतएव इनमें साधारणतया सट्टा नहीं होता। पर जिन स्थानों में संथायें हैं वे इन सौदों का भी नियमन करेंगी। खंड २७ के उपबंध के अनुसार सरकार को यह अधिकार रहेगा कि वह विशिष्ट सौदों को इस विधान से छूट दे दे।

यह विधान पिछली प्रवर समिति की सिपारिशों पर बनाया गया है। यद्यपि मन्त्री जो कहते हैं कि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है फिर संशोधित खंड के अनुसार उन्हें यह जानने की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि किन स्थानों पर विधान का दुरुपयोग किया जा रहा है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं आप पर निर्भर हूं।

श्री तुलसीदास : यह सरकार की व्यवस्था पर निर्भर रहेगा।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : आप पर

श्री तुलसीदास : जी नहीं।

श्री गाडगिल (पूना—मध्य) : उनका कहना है वे उन लोगों पर निर्भर हैं जो यह व्यापार करते हैं, तथा जिन्हें उस का अनुभव है।

श्री तुलसीदास : मैं उनसे यही कहूंगा कि वे यह त्रुटि सर्वथा मिटा दें।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सलाह कुछ पहिले दी गई है।

श्री तुलसीदास : मेरा निवेदन है कि संशोधित खंड के अनुसार भी सरकार को तंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। इस विधान प्रशासन में सरकार विभिन्न राज्यों की सहायता अवश्य लेगी। इस तन्त्र का सुझाव केवल मैंने ही नहीं अपितु पिछली प्रवर समिति ने भी रखा था। पिछली प्रवर समिति ने सब संथाओं को सूचना भेज दी थी। बंबई के व्यापारियों के सिवाय फेडरेशन आफ़ इंडियन चेम्बर्स आफ़ कामर्स का साक्ष्य भी लिया गया था। केवल बम्बई के व्यापारियों का ही साक्ष्य नहीं लिया गया था इसलिये उन के प्रति पक्षपात का प्रश्न नहीं उठता।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस बार कोई साक्ष्य लिया गया था ?

श्री तुलसीदास : जी नहीं।

इस प्रवर समिति की दो बैठकें हुई थीं खंड १८ के विषय में मैं विमति टिप्पण देने वाला था इसलिये मुझ से कोई बात नहीं हुई।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं, नहीं। मैं इस कथन का विरोध करता हूं। पूरे एक दिन केवल १८ वें खंड पर चर्चा हुई थी।

श्री करमरकर : माननीय सदस्य भी वहां उपस्थित थे।

श्री तुलसीदास : मेरी बात सीधी और रचनात्मक थी। प्रवर समिति के अधिकांश

लोगों की बात रचनात्मक नहीं थी। सब लोगों ने इस बात को मान लिया था कि अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके लिये उन्होंने उपबन्ध अवश्य किया परन्तु उसके कारण सरकार तभी कार्यवाही करेगी जब उसका दुरुपयोग हो चुकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य चाहते हैं कि अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों का भी नियमन हो और जहां आवश्यकता प्रतीत हो वहां इन्हें छूट दी जाए। प्रवर समिति आरम्भ में इनका नियमन नहीं करना चाहती परन्तु यदि बाद में इनका दुरुपयोग होने लगेगा तो वह इनका भी नियमन करेगी। दोनों ओर से तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं। अब जो सदस्य बोलें वे खास उदाहरण देकर अपनें विचारों की पुष्टि करें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): १९५१ म साक्ष्य लिया गया था पर इस समय नहीं लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य साक्ष्य को पढ़ें।

श्री करमरकर: यह अपराध नहीं है कि साक्ष्य की आवश्यकता पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय: किसी साक्ष्य से विभिन्न विनिश्चय किया जा सकता है। प्रवर समिति के जो लोग सदस्य थे वे यदि बोलें तो अपने विचारों की पुष्टि में खास उदाहरण दें जिससे कि सदन को सारी बात समझ में आ जाये।

श्री तुलसीदास: जी आपका कहना बिल्कुल ठीक है। १९५० में जब हैदराबाद में बहुत से अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदे हुए थे तथा बहुत सी वस्तुओं का हस्तेकरण किया गया था तब सदन में वादविवाद हुआ था। जब बम्बई में ऐसा विधान बनने लगा और विभिन्न संथाओं से साक्ष्य लिए गए तो सबने कहा कि अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों का भी नियमन होना चाहिए क्योंकि उन्हें मालूम था कि इन सौदों का अवश्य ही दुरुपयोग किया जाएगा तथा मान्य संथा के बाहर भी वायदा सौदे होने लगेंगे। बम्बई में कई मामले ऐसे हुए है जिनमें वस्तु देने की अवधि केवल एक सप्ताह की थी फिर भी मूल्यान्तर देकर हिसाब बराबर कर लिया गया। अभी जो उपबन्ध किया गया है उसके अनुसार सरकार तभी कार्यवाही करेगी जब उन सौदों का दुरुपयोग किया जा चुकेगा। मेरे विचार में इनका नियमन हो और केवल उन्हीं लोगों को छूट दी जाए जो सरकार को विश्वास दिला दें कि वे इन सौदों का दुरुपयोग न करेंगे।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: श्रीमान् जी इनका कथन ठीक नहीं है। खंड १८ उपखंड १ में बताया गया है कि यदि किसी वस्तु के विषय में धारा १५ के अधीन और सूचना दी गई हो तो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र को भी निर्धारित करेगी जहां अहस्तांतरणीय विशिष्ट सौदों को मान्य संथा नियमित करेगी।

मुख्य रूप से यह उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का है। उसके पश्चात् अन्य बातें आती हैं।

श्री तुलसीदास: यही तो में कह रहा हूं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: जी नहीं आपने यह नहीं कहा।

श्री तुलसीदास: आप सब सौदों पर इस अधिनियम को लागू करें। जो लोग छूट चाहते हैं उन्हें आपको यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि सौदों का दुरुपयोग न किया जाएगा।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: दूसरे प्रकार से क्यों नहीं ?

श्री तुलसीदास: यही तो मैं बता रहा था। केवल बम्बई में ही ऐसा विधान बना है। उनका अनुभव है कि वे ऐसा विधान बना सकते हैं जिससे किसी प्रकार के व्यापारियों का अहित न हो। उन्होंने इस प्रकार के सौदों के लिए भी छोटे क्षेत्रों में संथाओं को मान्यता दी है।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन): ग्वालियर राज्य में भी ऐसा विधान था।

श्री तुलसीदास: क्या उन्होंने इस प्रकार के सौदों को छूट दी है।

श्री राधेलाल व्यास: जी। वे द्वैधरक्षण सौदों को भी चलने देते थे। वहां केवल एक संथा थी।

श्री तुलसीदास: क्या वहां इसके समान कोई विधान था।

श्री राधेलाल व्यास: जी।

श्री तुलसीदास: होगा, परन्तु मुझे मालूम नहीं है।

श्री सी० सी० शाह ने अपने विमति टिप्पण में मेरा समर्थन किया है। उनका मत है कि यदि विशिष्ट प्रदान सौदों का नियंत्रण न किया जाए तो उनका दुरुपयोग सट्टे के लिए किया जा सकता है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: माननीय सदस्य दर्पण देख रहे हैं। उन्हें हर एक के मत में अपना मत दिखलाई पड़ता है।

श्री तुलसीदास: अपने विमति टिप्पण में उन्होंने लिखा है कि ९५ प्रतिशत सौदे अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदे होते हैं। यदि इन पर नियंत्रण न रखा गया तो संथाओं की सहायता से इनका दुरुपयोग किया जायेगा। किसी भी संथा को व्यापार नहीं करने देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: उपखंड (१) के परन्तुक में यही बात नहीं है क्या?

श्री तुलसीदास: वे चाहते हैं कि किसी भी संथा को व्यापार न करने दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों के करने वाले व्यापारियों ने उन्हें छूट देने के लिए कोई अभिवेदन किया है?

श्री तुलसीदास: जी नहीं। वहां वह विधान ठीक प्रकार से चल रहा है। यह खुशी की बात है कि मंत्री जी इन सौदों का भी नियमन कर देंगे यदि उन्हें मालूम हुआ कि उनका दुरुपयोग होने लगा है। बम्बई सरकार ने इसके बाबत शायद उनसे कुछ कहा भी है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: अभी वैसी कोई बात नहीं हुई। विधेयक पारित होने के पहिले वह ऐसा नहीं कर सकती।

श्री तुलसीदास: आपने आश्वासन दिया था।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: जी।

श्री तुलसीदास: वे खुद कहते है कि उन्होंने आश्वासन दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय: भगवद्गीता में लिखा है कि संशय से विनाश होता है। जो सरकार का प्रवर्ता कहता है वह किया जाता है।

श्री तुलसीदास: उनका आश्वासन देना ही यह बतलाता है कि उन्हें उस कठिनाई का पता है। उनके पास तंत्र नहीं है। वे धीमी गति से चलना चाहते हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: केवल मैं माननीय सदस्य से गठबंधन नहीं करना चाहता।

श्री तुलसी दास: आश्वासन देन के स्थान में यदि वही बात विधेयक में रख दो

जाए तो अच्छा हो । जो इस विषय को जानता है वही इस विधेयक को समझ सकता है । मैंने संशोधन की सूचना नहीं दी है परन्तु यदि मेरा सुझाव स्वीकार कर लिया जाए तो विधेयक की त्रुटि दूर हो जाएगी । पिछले वादविवाद के वृतांत को मैं पढ़ रहा था । वाणिज्य मंत्री ने जो बातें की थी उन्हें भी मैं देख रहा था ।

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी): वह पुरानी बात है । तब श्री टी० टी० कृष्णमाचारी केवल एक सदस्य थे ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं बताना चाहता हूं कि अभी प्रवर समिति की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है, मेरी बात पर नहीं ।

श्री त्यागी: श्रीमान् एक औचित्य प्रश्न है । मैं इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इस पक्ष के माननीय सदस्यों के भाषणों का क्या उस समय उल्लेख किया जा सकेगा जब ये मंत्री बन जाएंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय: सभापति का यह काम नहीं है कि वह अन्य मंत्रियों के बारे में उठने वाली कठिनाईयों के बारे में सोचें ।

श्री गाडगिल: मेरे विचार में राजनीतिज्ञ जितनी बार चाहे उतने बार अपना मत परिवर्तन कर सकते हैं ।

श्री त्यागी: यदि स्थान बदल जाएं ।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य का विचार यह है कि मंत्री हों अथवा नहीं उनका वक्तव्य महत्वपूर्ण है ।

श्री तुलसीदास: जब वे मंत्री नहीं थे अपितु केवल सदस्य थे तब उन्हों ने मेरे मत का समर्थन किया था ।

श्री गाडगिल: तब से न जाने क्या क्या हो चुका है ।

श्री तुलसीदास: जब प्रवर समिति ने इसकी सिपारिश की है तब यह परिवर्तन मेरी समझ में नहीं आता । मैं ने चेतावनी दे दी है । मैं यह नहीं कहना चाहता कि असंगतता भी क्या किसी का गुण हो सकती है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: छोटे दिमाग वालों को वह हौआ लगता है ।

श्री वी० पी० नायर: कृपया वाद विवाद की अवधि बढ़ा दीजिये जिससे कि दूसरों को भी बोलने का मौका मिले ।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं चाहता हूं कि उन लोगों को भी बोलने का अवसर मिले जो प्रवर समिति में नहीं थे ।

डा० लंका सुन्दरम्: आशा है कि समापन प्रस्ताव न रखा जाएगा ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: शीघ्रता की कोई बात नहीं है । सभापति का विनिश्चय इस मामले में माना जाएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य संक्षेप में बोलें ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तुर): मैं अपने विर्मात टिप्पण के विषय में बोलना चाहूंगा ।

खंड २० उपखंड (१) और खंड २१ के अपराधों को हस्तक्षेप्य बनाया है । भारतीय दंड संहिता में ऐसे अपराधों के प्रति उदारता दिखलाई गई है । जालसाजी के मामले में ७ वर्ष की कैद का विधान है परन्तु वह अपराध हस्तक्षेप्य नहीं है । यदि इन अपराधों पर केवल १ साल की कैद हो सकती हो तो इन्हें हस्तक्षेप्य नहीं बनाना चाहिए । इससे तो पुलिस के अधिकारियों में भ्रष्टाचार फैलेगा ।

श्री वी० पी० नायर: सजा तीन साल की कर दी जाए और उन्हें हस्तक्षेप्य बना रहने दिया जाए ।

श्री यू० एम० त्रिवदी : मुझे चिन्ता नहीं है। आप सात साल की सजा कर दीजिए और उसे हस्तक्षेप्य बना रहने दीजिए। मुझे दो व्यापारियों का हाल मालूम है। उनके ऊपर अभियोग भी न लगाया जा सका था परन्तु पुलिस ने उन्हें मालदार समझकर पकड़ लिया। ऐसे मामले हस्तक्षेप्य होते हैं इसलिए पुलिस व्यक्ति को हथकड़ियां डाल सकती है। वह उससे रुपए झटकने का प्रयत्न करती। अपना मान बचाने के लिए वह व्यक्ति पैसा दे देता है। कांग्रेस दल के एक धनाड्य सदस्य ने दूसरे कांग्रेसी सदस्य को मत नहीं दिया। जब वह प्रांतीय कांग्रेस समिति के लिए चुना गया तब उसने उसे चोरबाजारी के अपराध में पकड़वा दिया। चुने गए व्यक्ति का पुलिस पर कुछ प्रभाव था। अपराध हस्तक्षेप्य था अतएव पुलिस उसे पकड़ सकी। अतएव मैं इस उपबन्ध को ठीक नहीं समझता। उस व्यक्ति के प्रति कोई भी अभियोग न लगाया जा सका नीचे न्यायालय और उच्च न्यायालय न भी उसे निर्दोष बताया। इस अपराध को हस्तक्षेप्य बनाने से राजनीति के लोग अथवा पुलिस उसका दुरुपयोग करेंगे। मुफसिल के व्यापारियों को इसका कानून का पता नहीं लगेगा न संथाओं का। पुलिस उन लोगों से अवश्य ही रुपए झटकेगी।

अतएव मेरा निवेदन है कि खंड २३ छोड़ दिया जाए और दांडिक प्रक्रिया संहिता का उपबन्ध जोड़ दिया जाए।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। प्रस्तावक महोदय ने विधेयक प्रस्तुत करते समय कहा था कि वायदे के सौदे बाजार अर्थ-व्यवस्था का वैज्ञानिक ढंग से विकसित रूप है। इसक कारण मूल्यों के उच्चावचन कम हो जाते है। पूंजीवादी पद्धति में यह बात ठीक मानी जा सकती है। अप्रेल १९५१ में इन्होंने जो भाषण दिया था उससे यह भाषण भिन्न था।

उपाध्यक्ष महोदय : बाद का भाषण पिछले भाषण से अधिक मान्य समझा जाता है।

श्री वी० पी० नायर : दो न्यायालयों में जब एक गवाह भिन्न भिन्न प्रकार की गवाही देता है तब उसे झूठा समझा जाता है।

यह विषय बड़ा कठिन है। हर्ष की बात है कि कम से कम एक सदस्य, श्री तुलसी-दास किलाचंद जी, इस विषय के विशेषज्ञ हैं तथा ठीक मत दे सकते हैं।

इस विधेयक का पुराना इतिहास है। पिछले समय जब यह प्रस्तावित किया गया था तब क्या श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने मद्रास का प्रतिनिधित्व किया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वह कोई महत्व की बात नहीं है।

श्री वी० पी० नायर : जब उन्होंने महत्व पूर्ण भाषण दिया था तब वे मंत्री न थे। उस समय उन्होंने सच कहा था। विषय स्थिति को सम्हालते हुए उन्होंने कहा था कि यह विधेयक विशारद समिति का बनाया हुआ है। उस समय उन्होंने आपत्ति की थी कि निहित हित वालों को छोड़कर क्या दूसरा कोई विशेषज्ञ हो ही नही सकता ? अब वे उसी समिति पर भरोसा कर रहे हैं। उनके भाषण को सुनने से यह मालूम पड़ता है कि मानो देश में वारेन हेस्टिंग का राज्य हो।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : फिर भी औरंगज़ेब का राज्य नहीं समझेगा।

वी० पी० नायर : जिस विशारद समिति की उन्होंने भर्त्सना की थी उसी की सिपारिशों पर उन्होंने बाद में विधेयक का पुनर्विलोकन करवाया ?

श्री बंसल : हम प्रवर समिति की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं अथवा विशारद समिति की रिपोर्ट पर ?

उपाध्यक्ष महोदय : सब पर ।

श्री वी० पी० नायर : जब कृष्णमाचारी जी सदस्य थे तब उन्होंने कहा था कि उनके पास सब समस्याओं को पूरी करने की शक्ति नहीं है । अब उन्होंने सब का हल निकाल लिया है । परिवर्तन विधेयक में नहीं हुआ है । उनमें ही परिवर्तन हो गया है ।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या यह परिवर्तन ठीक था ?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी अपने पुराने मत पर दृढ़ रहना चाहेंगे परन्तु प्रवर-समिति में उनका मत स्वीकार नहीं हुआ ।

डा० लंका सुन्दरम् : उसी विशारद समिति में जिसकी इन्होंने भर्त्सना की थी ?

एक माननीय सस्दस्य : प्रवरसमिति ने ।

श्री वी० पी० नायर : श्री कृष्णमाचारी ने विधेयक का विरोध करते हुए जोश में कहा था कि इस विधेयक के पारित होने से केवल धनी लोग ही मनमानी कर सकेंगे उनका एकाधिकार हो जाएगा । उनके मत में यह विधेयक आदरणीय व्यक्तियों के बारे में नहीं है । मैं उनसे सहमत हूं । यह विधेयक देश का शोषण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध है । मुझे मालूम नहीं कि उनमें अब कितना परिवर्तन हो गया है । सदस्य कृष्णमाचारी और मंत्री कृष्णमाचारी के मत भेदों में बहुत कुछ कहा जा सकता है । मैं सदन का .....

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अधिक समय नहीं लेना चाहता ।

श्री वी० पी० नायर : भेद केवल यह है कि पहिले के भाषण में जोश था ; अब वह नहीं पाया जाता ।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे शिक्षा यह मिलती है कि सब सदस्य सावधानी से बोलें जिससे कि मंत्री बनने पर उन्हें यह कठिनाई न उठानी पड़े ।

श्री वी० पी० नायर : उनका बड़ा पतन हुआ है ।

आज जब किसानों और छोटे व्यापारियों को मंदी का सामना करना पड़ रहा है तब यह विधेयक सामने आया है । किसानों को अपनी फसल के कम दाम मिलते है परन्तु उसे निर्मित वस्तुओं के अधिक दाम देने पड़ते है । अतएव इस विधेयक से किसानों को हानि पहुंचेगी ।

५ म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : शायद माननीय सदस्य को बहुत कुछ कहना है ।

श्री वी० पी० नायर : जी ।

उपाध्यक्ष महोदय : कल जारी रखिए ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक शुक्रवार २१ नवम्बर, १९५२ के पौने ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।